खंड: 7, अंक: 8 अगस्त 2024 RNI- DELHIN/2021/84711

ISSN- 2584-2803 (Print)

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

विकसित भारत एवं महिला सशक्तिकरण: समानता, स्वतंत्रता व स्वीकार्यता

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रोफेसर सुनील कुमार

निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: director@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://cgs.du.ac.in/directorMessage.html

संपादक मंडल

डॉ रमेश कुमार भारद्वाज

सहायक आचार्य, सरकारी पी.जी कॉलेज, जीवाजी विश्वविद्यालय, श्योपुर पाली रोड, मध्य प्रदेश, पिन कोड-476337
संयुक्त निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.mphighereducation.nic.in

डॉ महेश कौशिक

सहायक आचार्य, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: mkaushik@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.aurobindo.du.ac.in

डॉ संध्या वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: sverma@shyamlale.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://shyamlale.du.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/sandhya-Verma-Political-Science.pdf

डॉ अभिषेक नाथ

सहायक आचार्य, एमएलटी कॉलेज, सहरसा; बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार।

ई-मेल आई डी: tuesdaytrack@gmail.com

प्रोफाइल लिंक: https://bpsm.bihar.gov.in/Assets2022/AssetDetails.aspx?P1=2&P2=12&P3=239&P4=3

© सीजीएस2024

संश्लेषण

विकसित भारत एवं महिला सशक्तिकरणः समानता, स्वतंत्रता व स्वीकार्यता

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. भारत में महिला सशक्तिकरणः विचार, व्यवहार व विश्लेषण

– एलिन 1–8

2. महिला सशक्तिकरणः समानता, स्वतंत्रता व स्वीकार्यता की ओर बढ़ते भारत के कदम

– सुशांत यादव 9–14

3. विकसित भारत 2047 की संकल्पना में महिलाओं की भूमिका

– महेश कौशिक 15–19

4. विकसित भारत का संकल्पः स्त्री राष्ट्र की आधारशिला का महत्व

– सृष्टि 20–24

5. विकसित भारत की दिशा में महिला सशक्तिकरण एक अनिवार्य घटक

– ज्योति 25–28

6. भारत में कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा से संबंधित सरोकारः यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POSH Act) के संबंध में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा का विश्लेषण

– रमेश चौधरी 29–38

7. महिला सुरक्षा एवं विकसित भारतः सुरक्षित व सशक्त भारत का एक विचार

– नीलम 39–43

8. विकसित भारत के संकल्प के समक्ष चुनौतियांः महिला प्रतिनिधित्व के संदर्भ में एक अध्ययन

– चंद्रिका आर्य 44–50

9. विकसित भारत का लक्ष्यः महिला सशक्तिकरण एक प्रवाद के रूप में

– हिताक्षी गिल 51–56

सम्पादकीय

वैश्विक अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविधालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण क 73वें अंक को प्रकाशित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। समस्त शोधार्थीयों, शिक्षार्थीयों एवं विधार्थीयों द्वारा समसामयिक विषय पर सामूहिक लेखों द्वारा शोध वास्तविकताओं के प्रकटीकरण के माध्यम से हिंदी भाषा को प्रचारित, प्रसारित एवं प्रमाणित करने की हमारी यह पहल संश्लेषण के रूप में प्रस्तुत हो रही है।

जैसे–जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है महिलाओं की सुरक्षा की अनिवार्यता राष्ट्रीय चर्चा में सबसे आगे बनी हुई है। एक सच्चा विकसित भारत वह है जहाँ हर महिला हिंसा या भेदभाव के डर के बिना रह सकती है, काम कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। इस आदर्श की ओर यात्रा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कानूनी, सामाजिक व आर्थिक ढाँचों को आपस में सम्मिलित करता हो।

सर्वप्रथम, एक सुदृढ़ कानूनी ढाँचा आवश्यक है। उपस्थित कानून न केवल कठोर होने चाहिए अपितु प्रभावी रूप से कार्यान्वित भी होने चाहिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करते हैं तथापि महिलाओं को इन सुरक्षाओं का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाने के लिए जागरूकता और पहुँच में सुधार किया जाना चाहिए।

सामाजिक मानदंडों को परिवर्तित करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कम उम्र से ही लैंगिक संवेदनशीलता को सवंर्धित करने के उद्देश्य से की जाने वाली पहल गहरी जड़ें जमाए बैठी रूढ़ियों को समाप्त कर सकती है। शैक्षिक पाठ्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों के बारे में विचार–विमर्शों को एकीकृत करके, हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं जो समानता व पारस्परिक सम्मान को महत्व देती हो।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक सशक्तिकरण सुरक्षा की आधारशिला है। जब महिलाओं को रोजगार व वित्तीय संसाधन मिलते हैं, तो वे स्वंय को स्वायत्त एवं स्वतंत्र पाती हैं, जिससे हिंसा के प्रति उनकी संवेदनशीलता अत्यंत कम हो जाती है। महिला उद्यमियों का समर्थन करने वाले कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली नीतियां द्वारा सशक्तीकरण की पहल को प्रभावी किया जा सकता है।

महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दिए बिना विकसित भारत की परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता। एक सुरक्षित, न्यायसंगत वातावरण बनाकर, हम एक समृद्ध समाज की नींव रखते हैं जो सभी को लाभान्वित करता है। इस संकल्पना को वास्तविकता बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक महिला को वास्तविक रुप में विकसित भारत के लिए सफल एवं सार्थक बनाया जा सकता है।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने "विकसित भारत एवं महिला सशक्तिकरणः समानता, स्वतत्रता व स्वीकार्यता" विषय पर आलेख आमंत्रित किए। उत्कृष्ट लेखों को संपादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे है। ये समस्त लेख न केवल महिलाओं के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे है अपितु 21वीं शताब्दी के समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार संबंधी नए विकल्पों के अन्वेषण का भी प्रयास कर रहे हैं।

संश्लेषण पत्रिका में आप सभी लेखकों व पाठकों द्वारा किए जाने वाले गहन लेखन एवं महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम संश्लेषण को और अधिक गुणात्मक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके निरंतर सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।

संपादक मंडल

शनिवार, 30 सितंबर 2024

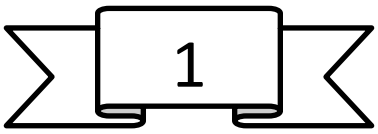

भारत में महिला सशक्तिकरणः विचार, व्यवहार व विश्लेषण

एलिन

विद्यार्थी, जीसस एंड मेरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत संपूर्ण विश्व में एक विशेष स्थान रखता है जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का इतिहास व संस्कृति है। भारत अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के कारण विश्व के सर्वोत्तम देशों में सम्मिलित हैं। वैसे तो स्वतंत्रता के पश्चात देश के इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई किंतु समकालीन समय में इस क्षेत्र में पहल शीघ्र हुई। इन सब के लिए समाज के मानव संसाधन को निरंतर उत्तम, सुदृढ़ व सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे समाज की अर्द्ध जनसंख्या महिलाओं की है, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. अंबेडकर द्वारा कहा गया है कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही ढंग से जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानना चाहिए।

महिलाएं किसी भी समाज की अर्द्ध जनसंख्या है इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है, कि वह समाज में उनका सशक्त और सुदृढ़ होना कितना महत्त्वपूर्ण है। महिलाओं की सहभागिता के बिना कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में उन्नति नहीं कर सकता।

महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक संदभ

भारत के विकास व महिला सशक्तिकरण का परस्पर गहन संबंध रहा है। भारत के इतिहास में महिलाओं की स्थिति एक जैसी नहीं रही है यह समय के साथ बदलती रही है। प्राचीन काल की बात की जाए तो इस काल में महिलाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वे शिक्षा, राजनीति और कला के क्षेत्र में सक्रिय थी। उदाहरण के तौर पर, वेदों के समय में गार्गी ओर मैत्रयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जो दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थी।

मध्यकाल के आते–आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। कई सारे मुद्दों ने महिलाओं की स्थिति को सीमित कर दिया। सती प्रथा, बाल विवाह व पर्दा प्रथा इन मुद्दों में सम्मिलित हुए। 19वी शताब्दी में कुछ समाज सुधारकों ने इन समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठायी। उदाहरण

के तौर पर राजाराम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन प्रयासों के कारण सती प्रथा पर रोक लगाई गई और विधवा पुनर्विवाह को अनुमति मिली।

आधुनिक भारत में आते–आते महिलाओं की स्थिति में सुधार आए। महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका को निभाया। स्वतंत्रता के लिए महिला नेताओं के संघर्ष किए। उदाहरण के लिए सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और लक्ष्मी सहगल। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए और उन्हें शिक्षा, राजनीति और रोजगार के अवसर प्रदान किए।

महिला सशक्तिकरण को आज के विकसित भारत का आधार स्तंभ माना जाता है। कई मुददों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा मिला है जैसे शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी। बहुत सी सरकारी योजनाओं एवं नीतियों इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समाज क हर वर्ग के विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है, क्योंकि तब महिलाएं सशक्त होती है तो पूरा समाज सशक्त होता है भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महिलाओं का योगदान अपरिहार्य है। महिलाओं का सम्मान, उनको दिए गए अफसर और अधिकार देकर ही एक सशक्त और विकसित भारत का निर्माण संभव है।

महिला सशक्तिकरण के तीन प्रमुख आधार

• स्वतंत्रताः

भारत की प्रगति और विकास का सपना तब तक दूर है जब तक उसकी अर्द्ध जनसंख्या, अर्थात महिलाएं, सशक्त व स्वतंत्र नहीं हो जाती है। महिला सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, अपितु उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक योगदान को भी मान्यता दता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिये, महिलाओं को समाज के सभी क्षेत्रों में सामान अवसर मिलना आवश्यक है, जिससे कि वे अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकें।

महिलाओं को वह अधिकार, क्षमता और संसाधन देना जिससे वे अपने निर्णय लेने की शक्ति को समझ सकें और अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें यह ही महिला सशक्तिकरण का मुख्य अर्थ है। यह सशक्तिकरण मात्र आर्थिक स्वतंत्र तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसके साथ साथ इसमें सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। महिलाओं की स्वतंत्रता का सीधा संबंध भारत के विकास से है, क्योंकि जो महिलाएं स्वतंत्र होती है, तब वे समाज के हर क्षेत्र में योगदान दे सकती है।

भारत देश में महिला सशक्तिकरण के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना चावला, जो एक अंतरिक्ष यात्री थी, उन्होंने न केवल देश का नाम रोशन किया अपितु यह भी सिद्ध किया कि महिलाएं अंतरिक्ष जैसे कठिन क्षेत्रों में भी पुरुषों के समान सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है। इसके साथ ही एम. सी मेरीकॉम, जिन्होंने बॉक्सिंग में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई, यह महिलाओं की शारीरिक और मानसिक क्षमता का एक आदर्श उदाहरण है।

महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण सावित्रीबाई फुले भी मानी जाती है, उन्होंने नारी शिक्षा की नींव रखी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया। आज के समय में देखा जाए तो महिलाएं अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को लेकर अधिक सजग है और समाज मं अपनी अलग पहचान बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

• समानताः

भारत देश में महिलाओं के समानता का विषय लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहा। भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण वास्तविकता में यह सामान्य अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। महिलाओं की समानता का तात्पर्य है कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र पर समान अधिकार व अवसर प्राप्त हो, चाहे वह शिक्षा, रोजगार, राजनीति या समाज हो।

इतिहास में महिलाओं की स्थिति पर नजर डालें, तो प्राचीन काल में महिलाएं समाज में उच्च स्थान रखती थी। वे शिक्षा, कला और में थी। किंतु मध्यकाल के आते–आते वे सामाजिक रूढ़ियों और पितृसत्तात्मक व्यवस्था का शिकार हो गई जिससे उनकी स्थिति में गिरावट आयी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गाँधी जैसे नेताओं ने महिलाओं की समानता और उनके अधिकारों के हित में आवाज उठाई, जिससे महिलाएं फिर से समाज में अपनी पहचान बनाने लगी।

आज, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में भागीदारी का अवसर देता है। इसके अलावा महिलाओं को कुछ कानूनी अधिकार भी प्राप्त है जैसे मातृत्व अवकाश, समान वेतन और हिंसा से सुरक्षा। उदाहरण के रूप में देखें तो सामान वेतन अधिनियम के अंतर्गत कुछ महिलाओं व पुरुषों को एक ही काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ी है। महिला आरक्षण विधेयक व पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होता

है। यह कदम भारतीय महिलाओं को न केवल राजनीति में अपितु समाज के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कई पंचायतों में महिला मुखिया ने सामाजिक समस्याओं जैसे पानी की कमी है शिक्षा की स्थितियों में सुधार लाने के लिए उत्तम कार्य किये हैं।

तथापि, भले ही कानून में समानता की बात कही गयी हो, परन्तु वास्तविक विश्वास इससे भिन्न है। महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर असमानता जैसी समस्याएं आज भी व्यापक है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच नहीं मिल पाती है।

महिलाओं की समानता के बिना समाज का सम्पूर्ण विकास संभव नहीं है। जब तक महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष के समान स्थान का सम्मान नहीं पाएंगी, तब तक वास्तविक समानता प्राप्त नहीं की जा सकती।

• स्वीकार्यताः

समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों, क्षमताओं और स्वतंत्रता के साथ पूर्ण रूप से स्वीकार करना ही भारत में महिलाओं की स्वीकार्यता का अर्थ है। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका परंपरागत रूप से सीमित रही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राचीन काल में महिलाएं शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय थी, किंतु समय के साथ–साथ उनकी भूमिका को घटित होते देखा गया। कई सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा ओर पितृसत्तात्मक सोच ने महिलाओं की स्वीकार्यता को सीमित किया। स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं के अधिकारों को संवैधानिक रूप से सुरक्षित करने के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए हैं।

हाल के वर्षों में, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के भागीदारी में वृद्धि हुई है। महिलाएं अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है और विभिन्न पेशों में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही है। राजनीति में महिलाओं की स्वीकार्यता भी बढ़ी है। इन्दिरा गाँधी जैसे नेता ने महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तथापि इसके पश्चात भी महिलाओं को सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी कई ग्रामीण और पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं को स्वीकार्यता प्राप्त नहीं है। लिंग आधारित भेदभाव, घरेलू हिंसा और पारिवारिक दायित्व के कारण महिलाएं अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को प्रदर्शित करने में असमर्थ होती है।

सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों अपने महिलाओं की स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला आरक्षण और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएँ महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायता कर रही है।
भारत में महिलाओं की स्वीकार्यता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो संपूर्ण समाज पर प्रभाव डालता है। समाज का समग्र विकास तभी होगा जो महिलाओं को समान अधिकार व अवसर मिलते रहेंगे।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारतीय सरकार की कई योजनाएँ और नीतियाँ है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है।

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाः यह योजना बेटियों के संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत लड़कियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने, और उनकी शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कई पहल की जाती है।
2. इंदिरा गाँधी मातृत्व सहायता योजनाः यह योजना गर्भवती महिलाओं और माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान व बच्चे के जन्म के बाद वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढती है।
3. सुकन्या समृद्धि योजनाः यह योजना छोटी बच्चियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत माता–पिता को अपनी बेटी के नाम पर बचत खाता खोलने की अनुमति होती है, जिससे वे उस की शिक्षा और शादी के लिए पैसा जमा कर सकते हैं।
4. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजनाः यह योजना विशेष रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं, जहाँ उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ–साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।
5. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाः यह योजना महिलाओं को साफ और सुरक्षित ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें चूल्हे से होने वाले धुएं से मुक्ति मिली है और उनका जीवन स्तर में सुधार आता है।

6. स्वधार गृह योजनाः यह योजना महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत उन महिलाओं को आश्रय और सहायता प्रदान की जाती है, जो घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, या अन्य कठिनाइयों का सामना कर रही है। यहाँ उन्हें कौशल विकास और पुनर्वास के अवसर भी मिलते हैं।
7. राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजनाः यह योजना किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य किशोरियों को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन पोषण प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी भूमिका को सशक्त रूप से निभा सके।

भारत में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी चुनौतियां

महिला सशक्तिकरण भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है, किंतु इसके मार्ग में विभिन्न चुनौतियां हैं। पहली चुनौती सामाजिक रूढ़िवादी सोच है, जो महिलाओं को शिक्षा, रोजगार व स्वतंत्रता से वंचित करती है। समाज के विभिन्न भागों में आज भी लड़कियों को लड़कों के तुलना में कम महत्त्व दिया जाता है, और उनकी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। इससे उनके सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न होती है।

दूसरी चुनौती लैंगिक भेदभाव है, जो महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर समान अवसर व वेतन से वंचित करता है। कार्यक्षेत्र में महिलाएं अक्सर यौन उत्पीड़न, असमान वेतन पदोन्नति में भेदभाव का सामना करती हैं, जो उनके आत्मविश्वास और जीवन की प्रगति में बाधा डालता है। आर्थिक निर्भरता, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होना उनके सशक्तिकरण में प्रमुख बाधा है। स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी समस्याएं भी महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बड़ी चुनौती है। महिलाओं में कुपोषण, गर्भावस्था से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं, ओर स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच उनके विकास में रुकावटें डालती हैं। साक्षरता व शिक्षा भी महिला सशक्तिकरण की राह में बाधा है, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा का स्तर कम है, जिससे वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाती। कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कई महिलाएं अपने अधिकारों की जानकारी व कानूनी सहारा प्राप्त करने में असमर्थ होती है। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण की नीतियों का सशक्त क्रियान्वयन आवश्यक है।

अंततः एक विकसित भारत का स्वप्न तभी साकार हो सकता है, जब महिलाओं को उनके अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान किया जाए। महिला सशक्तीकरण केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं,

बल्कि एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे– जैसे भारत डिजिटल, आर्थिक व समाजिक क्षेत्रों में विकास कर रहा है, महिलाओं का पूर्ण व सक्रिय भागीदारी राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर और अधिक सुदृढ़ सशक्त बनाएगी। एक ऐसा भारत, जहाँ हर महिला सशक्त हो, एक समृद्ध व विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करेगा।

संदर्भ सूचीः

- Baydahi Roy (2022), Women's empowerment in India, from ancient period to modern time period. *READERS'BLOG.*
- Sneha Kulkarni (2024), Four financial and investment for women launched by the government in India. *The economic times.*
- Madhapur Times (2013), महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ। *Madhapur times.*
- https://search.app/nS3hNJa5vmLZC6HN7
- https://search.app/PiRpoUi2XRMx2cCA9
- https://search.app/yKMkFeGSDB57FPdq6
- https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww%2Enextias%2Ecom%2Fblog%2Fwomen%2Dempowerment%2F&utm_campaign=57165%2Dor%2Digacx%2Dweb%2Dshrbtn%2Diga%2Dsharing&utm_source=igadl%2Cigatpdl%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F5

♦♦♦♦♦

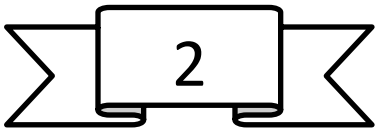

महिला सशक्तिकरणः समानता, स्वतंत्रता व स्वीकार्यता की ओर बढ़ते भारत के कदम

सुशांत यादव

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, कृषक पीजी कॉलेज, मवाना (मेरठ, उत्तर प्रदेश)

महिला सशक्तिकरण विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं के सशक्तिकरण में जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना शामिल है। विकसित भारत में, महिला सशक्तिकरण की विशेषता समानता, स्वतंत्रता और स्वीकृति है। समानता महिला सशक्तिकरण का एक मूलभूत सिद्धांत ह। विकसित भारत में, महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं तक समान पहुँच होनी चाहिए। देश की समग्र प्रगति और विकास के लिए लैंगिक समानता आवश्यक है। जब महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है और उन्हें पुरुषों के समान अवसर मिलते हैं, तो यह एक अधिक संतुलित और समृद्ध समाज की ओर ले जाता है। स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं को अपने जीवन के बारे में चुनाव करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वह शिक्षा, करियर, विवाह या व्यक्तिगत विकास से संबंधित हो। विकसित भारत में, महिलाओं को भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न से मुक्त होना चाहिए। उन्हें अपने लिंग के आधार पर किसी भी बाधा का सामना किए बिना खुद को अभिव्यक्त करने और अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में स्वीकृति भी सर्वोपरि है। विकसित भारत में नेतृत्व की भूमिकाओं, पारंपरिक रूप से पुरुष–प्रधान क्षेत्रों और समाज के सभी पहलुओं में महिलाओं की व्यापक स्वीकृति होनी चाहिए। समावेशी और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए विविध पृष्ठभूमि, विश्वास और जीवन शैली वाली महिलाओं की स्वीकृति आवश्यक है।

लिंग आधारित पूर्वाग्रह अर्थात सामाजिक समस्या का उदय

विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण हासिल करने के लिए लिंग आधारित हिंसा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुँच, वेतन अंतर और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह जैसे विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। लिंग आधारित ऐसे सामाजिक पूर्वाग्रह का यदि उचित समय पर

निदान न किया गया तो वे सामाजिक समस्या उत्पन्न करते हैं। जो किसी भी राष्ट्र के विकास में अवरोध उत्प्पन्न करते हैं। इस दृष्टि से सामाजिक समस्या को सामाजिक आदर्श का विचलन माना गया है जो सामूहिक प्रयत्न से ठीक हो सकता है। इस परिभाषा में दो तत्व महत्वपूर्ण हैं एक स्थिति जो आदर्श से कम है यानि कि जो अवांछनीय या असाधारण हैं और जो सामूहिक प्रयत्न से ठीक हो सकती है यद्यपि इसका निर्धारण करना सरल नहीं है कि कौन सी स्थिति आदर्श है और कौन सी नहीं और ऐसा कोई मापदंड भी नहीं है जिसे इसको जांचने के लिए प्रयोग में लाया जा सके फिर भी यह स्पष्ट है कि सामाजिक आदर्श कोई मनमाना विचार या मत नहीं है। वाल्श और फर्फे के अनुसार सामाजिक समस्या को सामाजिक आदर्श का विचलन माना जाता है जो सामूहिक प्रयत्न से ही ठीक हो सकता है। चूँकि सामाजिक आदर्श में निरंतर परिवर्तन होता रहता है अतः समय के साथ–साथ सामाजिक समस्याएं भी बदलती रहती है जो कुछ दशकों पहले सामाजिक समस्या नहीं मानी जाती थी वह दो दशकों के पश्चात एक नाजुक सामाजिक समस्या बन सकती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक से पहले जनसंख्या विस्फोट एक सामाजिक समस्या के रूप में नहीं देखी जाती थी परंतु पचास के दशक में यह एक नाजुक सामाजिक समस्या बन गई।

सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिसमें व्यक्तियों की बड़ी संख्या आकांक्षित सामाजिक मानदंडों से विचलन करती है और जिससे समाज का एक बड़ा भाग प्रभावित होता है। इस विचलन से ऐसे हानिकारक परिणाम हो सकते हैं अथवा होते हैं जिनका सामूहिक रुप से ही समाधान संभव हो पाता है। इस प्रकार किसी सामाजिक समस्या के लिए कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होते और इस पर नियंत्रण पाना एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के बस की बात नहीं होती। इसका उत्तरदायित्व सामान्य रूप से पूरे समाज पर होता है। सामाजिक समस्या मानवीय व्यवहार का एक ऐसा रूप है जिसे समाज का एक बड़ा भाग व्यापक रूप से स्वीकृत एवं अनुमोदित मानदंडों का उल्लंघन मांगता है। जैसे– बाल विवाह, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, दहेज हत्या आदि। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियाँ, सामाजिक पहल और व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने एवं महिला स्वतंत्रता हेतु अपनाए गए वैधानिक उपाय –रू

वैधानिक उपायों का भी समाज में प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह का निषेध और बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम– 1929 (1976 में संशोधित) तथा हिन्दू विवाह अधिनियम–1955 ने शिक्षा के लिए उपलब्ध अवधि बढ़ा दी है तथा विवाह के बाद नए वातावरण में दम्पत्तियों के अनुकूलन में कार्यात्मक योगदान दिया है। जीवन साथी के चुनाव में स्वतंत्रता और विशेष विवाह अधिनियम–1954 के

आधार पर एक आयु के बाद माता–पिता की अनुमति के बिना किसी भी जाति व धर्म में विवाह करना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम–1856 के अनुसार विधवा पुनर्विवाह की अनुमति, हिन्दू विवाह अधिनियम–1955 के आधार पर किसी भी समय विवाह विच्छेद तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्री को हिस्सा देना जैसे कानूनों नें न केवल व्यक्तिगत संबंधो में बल्कि परिवार रचना में भी सुधार किया है और संयुक्त परिवार में स्थायित्व भी प्रदान किया है।

उत्तराधिकार अधिनियम–1956, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम–1856, सती प्रथा निषेध अधिनियम–1987] दहेज निषेध अधिनियम–1961] अनैतिक धन्धा निरोधक अधिनियम–1956 (जिसे बाद में SIT नाम दिया गया) तथा स्त्रियों के अभद्र प्रदर्शन पर निषेध अधिनियम–1986 आदि इन सभी नियमों नें समाज में स्त्रियों के स्तर को उठाने और उनके प्रति हिंसा और उनका शोषण रोकने में योगदान दिया है। नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम–1955, अस्पृश्यता अधिनियम–1955 तथा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार के विरुद्ध निरोधक) अधिनियम–1989 नें समाज के कमजोर वर्गों का शोषण रोक दिया है। इन अधिनियमों के अलावा बंधुवा मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम–1976, बाल श्रम निषेध और नियमितीकरण अधिनियम–1986, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम–1993, समान पारिश्रमिक अधिनियम–1976] मुस्लिम महिला (तलाक से संरक्षण का अधिकार) अधिनियम–1986 आदि नें समाज के अनेक पीड़ित श्रेणियों को राहत पहुँचायी है।

21 सदी के भारत में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

हाल के वर्षों में, भारत ने महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है, खासकर देश के विकसित क्षेत्रों में। किसी भी राष्ट्र की समग्र प्रगति और विकास के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। विकसित होते भारत में, महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाएँ निभा रही हैं, रूढ़िवादिता को तोड़ रही हैं और देश के विकास में योगदान दे रही हैं। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के प्रमुख क्षेत्रों में से शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण और स्त्री स्वतंत्रता, समानता एवं स्वीकार्यता को बढ़ावा देना वाला सर्वाधिक सराहनीय क्षेत्र है। अब महिलाएँ उच्च शिक्षा और पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने की अधिक संभावना रखती हैं, जिससे कार्यबल में लैंगिक अंतर कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमिता और नेतृत्व को बढ़ावा देने वाली पहलों ने गति पकड़ी है, जिससे व्यवसाय और राजनीति में निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में अधिक महिलाएँ भाग ले रही हैं। इसके अतिरिक्त, विकसित होते भारत में महिला अधिकारों और लैंगिक समानता की उन्नति ने महिलाओं

के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा और प्रजनन अधिकारों को जन्म दिया है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और प्रजनन स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण के आवश्यक घटक हैं, जो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। यही कारण है कि अब मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, महिला कुपोषण, भ्रूण हत्या आदि में बहुत तेजी से कमी दृष्टिगत हो रही है।

इसके अतिरिक्त, विकसित भारत में कार्यबल में महिलाओं के लिए समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही पारंपरिक रूप से पुरुष–प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर बढ़े हैं। कंपनियाँ लैंगिक विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां को लागू कर रही हैं, जिससे महिलाओं को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अधिक सहायक वातावरण मिल रहा है। उदाहरण के रूप में देखें तो अधिवक्ता जैसे अधिक पितृसत्तामक व्यवसाय में भी महिलाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखी जा रही है। कानून मंत्रालय ने संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में ये आंकड़े साझा किए कि, महिला अधिवक्ताओं के सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य मेघालय है, जहाँ 59.3% महिला वकील हैं, उसके बाद मणिपुर है, जहाँ 36.3% महिला वकील हैं।

इसके अतिरिक्त, विकसित होते भारत में महिलाएँ सामाजिक और सामुदायिक विकास पहलों में सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं। वे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने, महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने और युवा पीढ़ी को सलाह देने के प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं, जा देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस कड़ी में उदाहरण के रूप में अभी हालिया नवनिर्वाचित युवा महिला सांसदों को देख सकते हैं। जौनपुर की मछलीशहर लोकसभा सीट से 25 वर्षीय युवा महिला और उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता प्रिया सरोज नें चुनाव जीतकर महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते भारत के कदम और भारतीय समाज में स्त्री स्वतंत्रता, समानता एवं स्वीकार्यता के विषय को स्पष्ट रूप से सम्बोधित किया है। इसी तरह कैराना से इकरा हसन को भी उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

निष्कर्ष

विकसित होते भारत के लिए महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और स्वीकार्यता विशेष रूप से सामाजिक परिक्षेत्र में अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसा समाज बनाना अनिवार्य है जहाँ महिलाओं को समान आर्थिक, राजनैतिक अवसर, अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और ऐसी स्वतंत्र महिला को भारतीय समाज में बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर, विकसित होते भारत में महिला सशक्तिकरण ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कार्यबल भागीदारी और सामाजिक जुड़ाव में प्रगति के कारण उल्लेखनीय

प्रगति की है। महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रगति ने न केवल व्यक्तियों को लाभान्वित किया है, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास और समृद्धि में भी योगदान दिया है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए अभी भी काम किया जाना बाकी है कि देश के सभी हिस्सों में महिलाओं को अवसरों और अधिकारों तक समान पहुँच मिले, और महिला सशक्तिकरण में उपलब्धियों को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर, भारत वास्तव में प्रगति कर सकता है और एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हो सकता है।

संदर्भ सूची

- 'भारत लैंगिक समानता के लिए प्रयासों में बेहतरीन उदाहरण', यूएन वीमैन https://news.un.org/hi/story/2024/03/1075467
- https://www.jansatta.com/sunday-magazine/in-a-country-like-india-the-debate-over-the-status-of-women-between-patriarchal-power-has-accelerated/618131/
- https://www.jansatta.com/politics/conflict-women-equality/270464/
- https://hindrise.org/resources/gender-equality-in-india-empowering-women-empowering-india/

♦♦♦♦♦

3

विकसित भारत 2047 की संकल्पना में महिलाओं की भूमिका

महेश कौशिक

अध्येता व उप–निदेशक, वैश्विक अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रोस्टो ने 1960 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेजिज ऑफ इकनोमिक ग्रोथ में विकास की तीसरी अवस्था जिसे उन्होंने उड़ान भरनेृ (Take off) की अवस्था का नाम दिया है, उसमें 25 से 30 वर्ष की अवधि निर्धारित की है। उन्होंने कहा था कि भारत ने इस अवस्था में 1960 के दशक में प्रवेश किया जिसे बाद में सुधार करते हुए उन्होंने कहा कि वह समय पूर्व प्रवेश था। किंतु वास्तव में भारत ने 1980 के दशक में इस अवस्था में प्रवेश किया था। किंतु 1980 के दशक के अनुसार भी भारत वर्ष 2010 में विकसित हो जाना चाहिए था किंतुअब स्वतंत्रता के 75 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य संकल्पित किया है। किंतु कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसे देश के नागरिक उसे संकल्प को अपना संकल्प मानकर देश के विकास के लिए एक होकर कार्य नहीं करते। जब हम किसी देश के नागरिकों की बात करते हैं तो उसमें महिलाएं एवं पुरुष दोनों शामिल होते हैं। यदि हम महिलाओं के योगदान को अनदेखा कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी भी देश की लगभग आधी जनसंख्या के योगदान को अनदेखा करते हैं। वर्तमान समय में सभी अर्थशास्त्री एवं नीति निर्माता देश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। जिस विकसित भारत की संकल्पना भारत सरकार ने की है, वह क्या है तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या वास्तव में भारत में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी दयनीय बनी हुई है तो महिला सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाने एवं कार्य करने आवश्यक हैं?

विकास की भारतीय अवधारणाः विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है यह समझने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि विकास की पश्चिमी अवधारणा और भारतीय अवधारणा में क्या अंतर है। पश्चिम में आर्थिक विकास के विचार से पहले आर्थिक संवृद्धि का विचार आया। संपूर्ण विश्व में पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के आर्थिक संवृद्धि के विचार को अपनाया

और संपूर्ण विश्व सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को बढ़ाने में लग गया। जीडीपी की वृद्धि दर को लेकर सभी देशों में प्रतियोगिता होने लगी। इस दौड़ में सभी देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन कर के उत्पादन बढ़ाने को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानकरअपनी आर्थिक नीतियां बनाने लगे। किंतु एक समय पर आकर अर्थशास्त्रियों ने यह महसूस किया कि केवल उत्पादन बढ़ाना ही अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ किसी देश की आधारिक संरचना जैसे यातायात एवं संचार, ऊर्जा उत्पादन, बैंकिंग एवं बीमा आदि के साथ–साथ शिक्षा स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना भी आवश्यक है, तभी लोगां के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। किंतु इन सब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी यह माना गया कि प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर और आधिकारिक दोहन करना आवश्यक है। इस सदी के आरंभ में ही अर्थशास्त्रियों को अपनी भूल का एहसास होना शुरू हुआ और उन्होंने यह पाया कि यदि प्राकृतिक संसाधनों का इसी प्रकार पूरे विश्व द्वारा दोहन किया जाता रहा तो आने वालीपीढ़ी के लिए आवश्यक संसाधन भी नहीं बचेंगे।

इस विचार के परिणाम स्वरूप सतत आर्थिक विकास की अवधारणा विकसित हुई। अर्थात वर्तमान पीढ़ी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों काअत्यधिक दोहन करना उचित नहीं है उन्हें भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए तथा पर्यावरण संरक्षण को भी पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए ।

विकास की भारतीय अवधारणा वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहनपर नहीं अपितु प्रकृति के साथ संयोजन करने पर आधारित रही। इसलिए हम आर्थिक संवृद्धि की नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं। इसलिए प्रकृति के सभी तत्वों को हमने अपने आर्थिक विकास की अवधारणा में सम्मिलित किया। जल, जंगल और जमीन से लेकर पशु, पेड़, पहाड़ और पत्थर तक सभी तत्वों में इस ईश्वरीय तत्व को स्वीकार करते हुए प्रकृति और पुरुष (मनुष्य) के संयोजन द्वारा मनुष्य के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता रहा। पश्चिमी जगत भी अब इसी अवधारणा तक धीरे–धीरे पहुंच रहा है।

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थितिरू महाराज मनु ने मनुस्मृति में नारी के सम्मान में कहा है–

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।

अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है वहां दिव्य शक्तियां निवास करती हैं एवं जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है वहां सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। प्राचीन भारत में भारत में ऋग्वेद काल से ही स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती रही है तथा समाज में उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया जाता रहा । इससे संबंधित अनेक सूक्त वेदों में प्राप्त होते हैं। स्त्री, माता तथा पुत्री के रूप में परिवार रूपी संस्था से लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं ने महत्वपूण भूमिका निभाई है। अनेक विदुषी स्त्रियों है, के संबंध में अनेक प्राचीन ग्रंथो में उल्लेख मिलता है। यहां तक की स्त्रियां यज्ञ में भी भाग लेती थी तथा समाज में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था। वैदिक काल में ही महर्षि याग्वल्क्य और मैत्रैयी के बीच होने वाले संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है। यद्यपि त्रेता युग में बहु पत्नी प्रथा का उल्लेख मिलता है, श्री राम के पिता, महाराज दशरथ की तीन रनिया थी। किंतु उसे समय में भी जब यह माना जाता था कि युद्ध लड़ना केवल पुरुषों का कार्य है, उसे समय भी उल्लेख मिलता ह कि किस प्रकार रानी कैकई ने राजा दशरथ की सारथी बनकर के युद्ध में भाग लिया था। ठीक इसी प्रकार हमें महाभारत काल में भी अर्जुनऔर चित्रांगदा के युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्य काल तथा गुप्त काल में स्त्रियों को विशेष सम्मान प्राप्त था। इसका भी उल्लेख मिलता है कि मौर्य काल में तो स्त्रियों को अंगरक्षकों तथा गुप्तचर के रूप में भी कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाते थे।

आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया और महिलाओं को स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रानी दुर्गावती से लेकर अहिल्याबाई होलकर, सरोजिनी नायडू और भारत की प्रथम महिला चिकित्सक आनंदी बाई गोपाल राव जोशी (1865–1887) और सावित्रीबाई फुले तक अनेकों महान स्त्रियों ने भारतीय समाज में समय–समय पर महिलाओं की क्षमता, शक्ति और विद्वता का परिचयसंपूर्ण समाज को दिया है। यद्यपि मुगल काल और ब्रिटिश काल में महिलाओं के सम्मान में काफी गिरावट आई तथा पर्दा प्रथा और महिलाओं को शिक्षित ने करना, कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयां समाज में प्रचलित हुई। वह समाज जो नारियों को सर्वोपरि सम्मान देता था और ज्ञान या शक्ति की आराधना भी स्त्री के रूप में ही करता था उस समाज में नारी की ऐसी निम्न स्थिति हो जानाऔर कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया जाए यह निश्चित रूप से भारतीय समाज पर एक बड़ा कलंक लगाता है। किंतु धीरे–धीरे भारतीय समाज इन बुराइयों को छोड़ रहा है और महिलाएं भी अपने खोए हुए सम्मान को वापस लाने के हेतु निरंतर संघर्षरत हैं।

वर्तमान समय में महिलाओं का योगदान

वर्तमान समय में स्त्रियां भारत में सभी क्षेत्रों में बढ़–चढ़कर के भाग ले रही हैं। यद्यपि महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों की गणना सकल घरेलू उत्पाद (GDP) मैं नहीं की जाती है किंतु यह भी सत्य है कि महिलाओं के सहयोग के अभाव में पुरुषों द्वारा कोई आर्थिक क्रिया उचित प्रकार संपादित नहीं की जा सकती है। इसके साथ–साथ यदि महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों की गणना का तरीका निकाल लिया जाए तो निश्चित रूप से भारत जैसे देशों के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य बहुत बढ़ जाएगा। भविष्य की राहः विकसित भारत लक्ष्य 2047ः आर्थिक विकास के किसी भी लक्ष्य को महिलाओं की सहभागिता के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी आर्थिक लक्ष्य महिलाओं की सहभागिता के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि वर्तमान समय में भारत में शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, कानून सेवाएं,खेल एवं राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वर्तमान सरकार ने संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर राजनीति में उनके सशक्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया है। इससे निश्चित रूप से देश में आने वाले समय में महिलाओं की भूमिका सभी क्षेत्रों में पहले से भी बेहतर होगी। किंतु अभी भी हमें महिलाओं को शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि पर पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा और उनके लिए विशेष योजनाएं बनानी होगी जिससे कि उनकी क्षमता और योग्यता का लाभ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उठाया जा सके और उन्हें वह सम्मान दिलाया जा सके जिसकी वह अधिकारी हैं। महिलाओं का पर्याप्त रूप से शिक्षित होना परम आवश्यक है जिससे वह परिवार के समग्र विकास में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण ढंग से संपादित कर सकें और साथ ही आर्थिक क्रियाओं में भी समुचित योगदान देकर आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में अपनी भूमिका का उचित प्रकार निर्वहन कर सकें। जब तक देश की अर्द्ध जनसंख्या अर्थात महिलाओं को आर्थिक प्रगति में सहयोगी नहीं बनाया जाएगा तब तक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा।

संदर्भ सूची

- वॉल्ट रॉस्टोव, ृआर्थिक संवृद्धि की अवस्थाएँ, (1960)
- मनुस्मृति, पाठ –३
- Dr V- Sengupta, R- K- Panday, स्वतंत्र भारत में नारी की स्थिति Jeffrey D. Sachs. Foreword by Ban Ki-moon, `The Age of Sustainable Development` (1915)
- https://haryanarajbhavan.gov.in/hi/publication/
- https://ijcrt.org/papers/IJCRT2203116.pdf
- https://ijassonline.in/HTMLPaper.aspx?Journal=International

♦♦♦♦♦

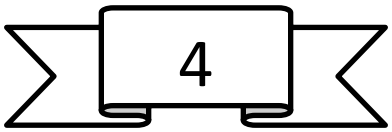

विकसित भारत का संकल्पः स्त्री राष्ट्र की आधारशिला का महत्व

सृष्टि

अध्येता, वैश्विक अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में परिणित होने के लक्ष्य के संकल्प लिए हुए है। भारत के इस विकसित राष्ट्र की संकल्पना में महिलाओं का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण व आवश्यक है। स्त्री राष्ट्र की आधारशिला है। इस राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान आर्थिक, रजनीतिक व सामाजिक–सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। महिलाओं का विकास मात्र लिंग–असमानता का कम करने के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु देश में महिलाओं की मानव विकासात्मक स्थिति में अंतर–जिला विभिन्नता को कम करने के लिए भी आवश्यक है।

भारतीय समाज के गठन को ब्रह्म चौतन्य शक्ति के एक भाग के रूप में देखा जाता है, जो महिलाओं को अस्तित्व के इर्द–गिर्द बुन जाता है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण को सामाजिक धारणा के लिए महिलाओं की सुप्त शक्तियों का आधार माना गया है। वैदिक काल में महिलाओं को विशेष स्थिति प्राप्त थी उस समय में वे पुरुषों के समान ही प्रायरू समान अधिकारों का आनंद लेती थी तथा उन्हें पूर्ण चिंतन एवं कार्य करने की स्वतंत्रता थी।

मनु ने मनुस्मृति में कहा था कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवतः" अर्थात देवगण ऐसे स्थान पर वास करते है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है। संभवतः इसी भावना के अंतर्गत प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। विधा, धन व शक्ति सदैव से समाज में सुख, समृद्धि व समानता के आधार रहे है। यह प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं के सम्मान व उनकी उच्च स्थिति का ही सूचक रहा है कि समृद्धि व संपन्नता के इन तीनों आधारों का प्रतीक उस समय में सरस्वती, लक्ष्मी व दुर्गारूपी स्त्रियां ही मानी गई थी।

सामाजिक–सांस्कृतिक सशक्तिकरणः– ऐतिहासिक रूप से यह देखा जाता है कि महिलाएं निर्णय–निर्माण प्रक्रिया, सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों में तथा संसाधनों के स्वयं के नियंत्रण रखने के रूप में अधीन स्थिति में निर्धारित रही है। सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया के कुछ मुख्य सूचक है जैसे साक्षरता, विवाह, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएँ जो कि लैंगिक समानता की संकल्पना के साथ जुड़े हुए है।

शिक्षा महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ–साथ राष्ट्र के विकास हेतु भी एक अधिक प्रभावशाली साधन है। शिक्षा महिलाओं को पढ़ने व लिखने की शक्ति सुनिश्चित करके उन्हें सशक्त बना सकती है। शिक्षा के द्वारा महिलाएं अपने अधिकार व उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बन जाएंगी। महिलाओं के मध्य शिक्षा को सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में माना जाता है। अतः महिलाओं को शिक्षित होने के आवश्यकता है तथा उचित प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे वे सामाजिक रूप से सशक्त हो सके। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागी भी बन सकेंगी। और इस साधन के द्वारा ही सशक्तिकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकता है। महिलाओं का स्वास्थ्य उनके जैविक व लैंगिक भिन्नताओं के रूप में प्रभावित रहा है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके साथ भेदभाव व अधीनता का व्यवहार होता रहा है। यह उनके सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों में भी सम्मिलित है।

अतः शिक्षित महिलाएँ अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान देने के लिए उत्तम स्वरूप से सुसज्जित होती हैं। उनकी शिक्षा प्रायरू भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की ओर ले जाती है।

आर्थिक सशक्तिकरणः– महिला सशक्तिकरण आकलन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक पहलू है। मूलतः महिलाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण व उपयोगी अभिकर्ता है। इस विषय पर यह अध्ययन दर्शाता है कि कैसे यहाँ सतत लैंगिक असमानताओं के कारण कार्य की भिन्नता है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण को रोजगार के अवसर प्रदान करके महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे कि महिलाओं व पुरुषों के मध्य समानता को प्राप्त किया जा सके।

आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया महिलाओं के उत्थान व आर्थिक रूप से उन्हें स्व–निर्भर बनाने के लिए आवश्यक है। मात्र आर्थिक सशक्तिकरण के द्वारा, उन्हें स्वयं के वास्तविक मूल्य का एहसास होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि का विस्तार व निर्धनता में कमी संभव है। अतः यह एक प्रक्रिया है जो आर्थिक संसाधनों व अवसरों के ऊपर महिलाओं का नियंत्रण प्रदान करता है, जिसमें उनकी क्षमता व कौशलता को विकसित करने के लिए नौकरी, संपत्ति व अन्य उत्पादों को सम्मिलित करता है। अतः महिलाओं की सहभागिता व योगदान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

सशक्तिकरण प्रक्रिया की मुख्य बाधा सामाजिक मानकों, लैंगिक असमानता, जाति व प्रजाति में निहित है। यह महिलाओं के अवैतनिक होने पर मात्र सामाजिक निर्भरता है। महिलाओं में क्षमताओं

का निर्माण करने का अर्थ है कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अवसर प्रदान होने चाहिए, जिससे की स्व–निर्भर बन सके। तथा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें।

राजनीतिक सशक्तिकरणः– महिला सशक्तिरण आकलन का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक सशक्तिकरण का है। अति–प्राचीन समय से, भारतीय महिलाएं राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम सशक्तिकरण की बात करें तो यह मानना आवश्यक है कि महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है, जिसक माध्यम से वे देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार बन सके। सशक्तिकरण एक ऐसा परिवेश प्रदान करता है, जहां महिलाओं के विषयों को संबोधित किया जा सकता है तथा वे आत्म–निर्भर के स्तर को प्राप्त कर लेती है।

भारतीय संविधान महिलाओं के लिए समान अधिकारों (अनुच्छेद–14–18) का प्रावधान प्रदान करता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार, वे चुनाव लड़ सकती है, फलस्वरूप उनके राजनीतिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया पर दर्शाते है कि अधिकतर भारतीय महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पति व पुत्र पर निर्भर है। उनकी सामाजिक स्वतंत्रता को उनके पति व समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पितृसत्ता की इस प्रकृति ने वृहत स्तर पर महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकारों को दृढ़ करने के संबंध में नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

महिलाओं की निम्न सहभागिता की विभिन्न कारण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक भारतीय समाज का पारंपरिक व रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। पारंपरिक समाजों में, पितृसत्ता एक स्वीकृत विचारधारा है, जहां परिवार का मुखिया एक पुरुष होता है जो परिवार के प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णयों को लेता है। अधिकतर महिलाएं परिवार में पुरुषों के द्वारा नियंत्रित की जाती है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण महिलाओं की राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता का स्तर निम्न है। सामान्यतरू वे घरेलू कार्यों व उत्तरदायित्वों से जुड़ी होती है, जो राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान में एक बाधा है।

अतः नेतृत्व की स्थिति में महिलाएँ निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविध दृष्टिकोण ला सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नीतियाँ समावेशी व प्रतिनिधि हों। महिला नेता प्रायरू स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों का समर्थन करती हैं, जिससे स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर नीति प्रभावित होती है।

महिलाएँ समुदाय निर्माण गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, प्रायः सामाजिक परिवर्तन के लिए आधारिक स्तर पर आंदोलनों का नेतृत्व करती हैं। तथा महिलाएँ सामान्यतरू घरेलू हिंसा,

स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाले अभियानों में सबसे आगे रहती हैं, जागरूकता व सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं।

महिलाएँ सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो राष्ट्रीय अस्मिता में योगदान देती हैं। परिवार का केंद्र बिन्दु एक महिला है। मातृत्व, त्याग व सहनशीलता महिलाओं के सहज गुण है। इन सभी गुणों के माध्यम से ही एक महिला परिवार के सदस्यों को अच्छे संस्कार दे सकती है। एक अच्छे परिवार से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है और एक अच्छा समाज ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अतः महिला अपने स्वभाव से अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकती है। प्रत्येक महिला को विशाल व विस्तृत भाव से चिंतन करना चाहिए कि अपने परिवार से थोड़ा आगे आकर समाज की ओर सोचना चाहिए। एक महिला ही अपने धर्म, संस्कृति तथा सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित, संरक्षित तथा संवर्धित कर सकती है।

अतः कहा जा सकता है कि विकसित व समृद्ध भारत को साकार करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण मौलिक व महत्वपूर्ण है। शिक्षा, रोजगार, राजनीति व सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके, भारत अपनी जनसंख्या की पूर्ण क्षमता का दोहन कर सकता है। विकसित भारत के संकल्प को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब महिलाओं को न केवल सम्मिलित किया जाए अपितु वे देश के भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका में भी हों।

संदर्भ सूची

- Jana Kothai Pillai, (1995). *Women Social Change in India*, New Delhi, Heritage Publications, P-26.
- Jugal Kishore Mishra, (2006). "Empowerment of Women in India*",* In *the Indian journal of Political Science*, Vol 67, No-4, PP-867-878.
- Naila Kabeer, (1999). "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment", Published by *Blackwell Publishers oxford*, Vol.30, P-435-464.
- Naila Kabeer, (2005). *"*Gender Equality and Women Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal" *Gender and Development*, Vol.13, No-1.
- Santosh Singh, Dynamics of Inclusion and Exclusion in Uttar Pradesh in B S Baviskar and George Mathew (ed.), (2009). *Inclusion and Exclusion in Local Governance: Field Studies from Rural India*, Sage Publications, New Delhi, P-354.

♦♦♦♦♦

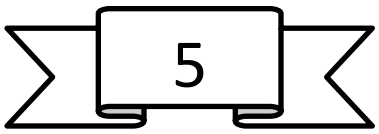

विकसित भारत की दिशा में महिला सशक्तिकरण एक अनिवार्य घटक

ज्योति

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत विकास की दिशा में शीघ्रता से अग्रसर हो रहा है, और इस दिशा में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर सामने आया है। जब हम "विकसित भारत" की बात करते हैं, तो केवल आर्थिक प्रगति की ही नहीं, अपितु समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास की बात करते हैं। विशेष रूप से महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता, और स्वायत्तता इस विकास के प्रमुख स्तंभ हैं।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग और सक्षम बनाना है, जिससे कि वे समाज, परिवार और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक संरचना ने महिलाओं को सीमाओं में बांध रखा था, किंतु आधुनिक भारत में इस ढांचे को चुनौती दी जा रही है। महिलाएं अब शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, व्यापार, और समाज–सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

महिला सशक्तिकरण की परिभाषा व महत्व

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय लेने का अधिकार देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इसका अर्थ यह है कि महिलाएं अपने भविष्य के बारे में स्वयं निर्णय लें, चाहे वह शिक्षा, व्यवसाय, परिवार, या समाजसेवा हो। महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को समान अवसर, समान वेतन, और समान अधिकार प्राप्त हों।

विकसित भारत की परिकल्पना तभी पूरी हो सकती है जब समाज में अर्द्ध जनसंख्या अर्थात महिलाएं भी समानता से भागीदारी निभाएं। इस प्रक्रिया में महिलाओं को केवल अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनका उचित उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण को हम विभिन्न आयामों द्वारा समझ सकते है यह एक बहुयामी प्रक्रिया जिसमे से एक है, महिलाओं का राजनितिक सशक्तिकरण। राजनितिक सक्तिकरण सामान्य अर्थ है कि समाज मे देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या को सामाजिक व आर्थिक विकास के मुख्य निर्णय निर्माण की प्रक्रिया स जोड़ना है क्योंकि राजनीति प्रक्रियाओं द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समाज मे अभिव्यक्त करता है, जैसे चुनावों मे भाग लेना आदि। स्वंत्रता के पश्चात भारतीय सविधान मे महिलाओं की स्तिथि मे सुधार करने का प्रयास किया गया, सविधान द्वारा बनाये गए कानूनों मे भी महिलाओं की स्तिथि सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न विशेषधिकार और योजनाएं बनाई गई है जैसे महिलाओं के लिए विभिन्न सांवेधानिक व्यवस्थाएं, जिसमे से एक है 106 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023 है, यह अधिनियम भारत मे महिलाओं की राजनीति मे प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया, इस अधिनियम की आवश्यकता भारत की समकालीन परिस्थितियों की मांग है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजनीति सशक्तिकरण (संसद मे महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत) के दृष्टिकोण से भारत 146 मे से 48 वें स्थान पर है, जिसका तात्पर्य है की भारत मे केवल 14.4 प्रतिशत महिलाएं भारत की संसद मे उपिस्थित है देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व केवल 14.4 प्रतिशत महिला सांसद कर रही है जो अब तक का सबसे उच्चतम आंकड़ा है।

महिला सशक्तिकरण के लिए समानता एक महत्वपूर्ण घटक है। समानता का अर्थ है कि महिलाओं और पुरुषों के मध्य कोई भेदभाव न हो, उन्हें समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है, किंतु इसे आधारिक स्तर पर लाग् करने में अभी भी विभिन्न चुनौतियाँ हैं।

समान वेतन का मुद्दा आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक है। कई उद्योगों में महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करती हैं, किंतु उन्हें उतना वेतन नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विषय में लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, और यह एक गंभीर समस्या है। इसके साथ ही, महिलाओं की स्वतंत्रता का अर्थ मात्र सामाजिक और पारिवारिक प्रतिबंध हटाना नहीं है, अपितु उन्हें अपनी पहचान बनाने का अवसर देना भी है। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह भी है कि महिलाएं अपनी इच्छा व रुचि के अनुसार शिक्षा, व्यवसाय, या अन्य किसी क्षेत्र में अपना भविष्य चुन सकें।

महिला सशक्तिकरण में सरकार की भूमिका

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि महिला रोजगार सृजन, स्व–रोजगार के लिए ऋण योजनाएं, और मातृत्व लाभ कार्यक्रम।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून बनाए हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कड़े कानून। तथापि, इन कानूनों का सही रूप से पालन हो, यह सुनिश्चित करना भी सरकार और समाज की जिम्मेदारी है।

शिक्षा महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार है। एक शिक्षित महिला न केवल अपने परिवार और समाज को जागरूक बना सकती है, बल्कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहती है। शिक्षा से महिलाओं को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना मिलती है।

भारतीय सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसी योजनाएं सम्मिलित हैं, जिनका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने विभिन्न छात्रवृत्तियाँ और सब्सिडियाँ भी प्रदान की हैं, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियाँ भी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

अतः भारत को समृद्ध बनाने व विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने हेतु देश की अर्द्ध–जनसंख्या अर्थात महिलाओं को सशक्त करना महत्वपूर्ण व अनिवार्य है। जिससे महिलाएं संपूर्ण देश को सशक्त व समृद्ध बनाने में आपणा योगदान दे सकें।

संदर्भ–सूची

- https://static.pib.gov.in/…/documents/2024/mar/doc2024…
- https://static.pib.gov.in/…/documents/2023/mar/doc2023
- https://www.researchgate.net/publication/321965670_Women_empowerment_and_their_empowering_schemes
- https://www.researchgate.net/publication/319738851_Women_Empowerment_Perspectives_a nd_Views

♦♦♦♦♦

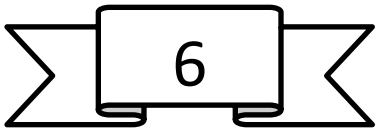

भारत में कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा से संबंधित सरोकारः यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POSH Act) के संबंध में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा का विश्लेषण

रमेश चौधरी

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

जिस दिन एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चल सकेगी, उस दिन हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, *महात्मा गांधी*

कोलकाता के आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की भयावह घटना ने पूरे देश को सामाजिक और मानसिक स्तर पर झकझोर कर रख दिया है और एक बार पुनः भारत में महिला सुरक्षा के मुद्दे की ओर हमारा ध्यान खींचा है। यह घटना उसी तरह की सार्वजनिक नाराजगी और रोष को जन्म दे रही है, जैसी दिल्ली के निर्भया बलात्कार मामले ने पैदा की थी। आर जी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और नृशंस हत्या जैसे जघन्य अपराध ने कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा और सम्मान पर सवाल खड़ा कर दिया है। कोलकाता में हुए बलात्कार और हत्या ने महिलाओं के सामने पेश की जाने वाली खराब कामकाजी परिस्थितियों को उजागर किया है। संगठित या असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएँ असुरक्षित हैं। इसके अलावा, हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग पर न्यायमूर्ति हेमा समिति की हालिया रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ यौन शोषण, लैंगिक भेदभाव और दुर्व्यवहार जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया है।

प्रौद्योगिकी और शहरीकरण में प्रगति के बावजूद, भारत में महिलाओं को हिंसा, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। यह बेहद दुखद है कि देश में हर दिन लगभग 88 बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं, और कई मामले शायद रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्य प्रणाली उन महिलाओं की रक्षा करने में विफल रही है जो समाज की नींव हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में दोनों प्रकार के कार्यक्षेत्र, संगठित और असंगठित कार्यस्थलों पर महिलाओं की भेद्यता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ कई गुना बढ़ गई हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विभिन्न कार्य क्षेत्र और उद्योगों में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख सुरक्षा संबंधी मुद्दों में से एक है। 2017 में इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन द्वारा 6]000 से अधिक कर्मचारियों पर किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में यौन उत्पीड़न व्यापक है। यौन उत्पीड़न महिलाओं पर अश्लील या यौन टिप्पणियों से लेकर नौकरी और पदोन्नति के लिए यौन एहसान की मांग तक होता है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 2015–2017 के बीच कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कुल 1631 मामले दर्ज किए गए थे। राज्यों के मध्य काफी असमानता रही है, उत्तर प्रदेश में लगभग 25% मामले दर्ज किए गए, इसके बाद दिल्ली (16%) का स्थान है।

कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से संबंधित चिंताएं

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा चिंताओं से अभिप्राय शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार और महिलाओं को डराने, धमकाने और उन पर नियंत्रण पाने के लिए शक्ति या बल का अनुचित उपयोग शामिल है। महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कार्यस्थल पर व्यवहार या बर्ताव है जो हानि पहुंचाता है या हानि पहुंचाने की धमकी देता है जिसका आधार भावनात्मक, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और यौन या शारीरिक दुर्व्यवहार मुख्य है। कार्यस्थलों पर महिलाओं से संबंधित सुरक्षा के प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं–

1. बुलीइंग (चिढ़ाना और धमकाना) – कार्यस्थल में बुलीइंग (चिढ़ाना और धमकाना) कार्यस्थल में उत्पीड़न और हिंसा का एक रूप है। बुलीइंग कोई भी ऐसा व्यवहार या कृत्य है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, भावनाओं, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा या संपत्ति को डर, धमकी, अपमान, संकट या अन्य प्रकार की हानि पहुंचाता या इच्छुक होता है। बुलीइंग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है, और लिखित, मौखिक, शारीरिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या अभिव्यक्ति के किसी अन्य रूप से हो सकता है।
2. मानसिक उत्पीड़न – कार्यस्थल पर मानसिक उत्पीड़न किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी अवांछित कार्रवाई या टिप्पणी है, जो किसी महिला को अपमानित या मानसिक रूप से व्यथित करती है। यह नियोक्ता, नियोक्ता के प्रतिनिधि, सहकर्मी या नियोक्ता के घर आने वाले आगंतुक से संबंधित है।
3. यौन उत्पीड़न – कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से अभिप्राय कोई भी अवांछित यौन गतिविधि या यौन संपर्क है। इसमें अवांछित स्पर्श से लेकर किसी को यौन संबंध बनाने के लिए

4. मजबूर करना शामिल है। अगर कोई व्यक्ति महिला को बल, धमकी, ब्लैकमेल या जबरदस्ती का उपयोग करके कुछ यौन कार्य करने के लिए मजबूर करता है, तो यह यौन उत्पीड़न है। महिलाओं के साथ अपमानजनक शब्द का उपयोग करना, किसी भी प्रकार के अभद्र और अश्लील चित्र, वस्तुएँ सांझा करना या इशारे करना, शारीरिक संपर्क, यौन संभोग की मांग करना, यौन प्रकृति का अवांछित स्पर्श यौन उत्पीड़न में शामिल हो सकते हैं लेकिन यह इन तक सीमित नहीं है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 2018 से 2022 तक भारत में हर साल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 400 से अधिक मामले सामने आए हैं। मार्था फैरेल फाउंडेशन द्वारा 2018 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 80% भारतीय महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों की बढ़ती संख्या कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे की गंभीरता को भी दर्शाती है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस (अशोका यूनिवर्सिटी) के अनुसार यौन उत्पीड़न संरक्षण (POSH) अधिनियम के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों में काफी वृद्धि हुई है, जो 2013–14 में 161 से बढ़कर 2022–23 में 1,160 हो गई है। एसोचौम सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन (एएसडीएफ) के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र में कार्यरत 48% महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और मध्यम क्षेत्र में लगभग 26% और बड़े पैमाने की औद्योगिक फर्मों में 23% महिलाएं सूर्यास्त के बाद बाहर निकलने से डरती हैं या अपनी सुरक्षा को लेकर सशंकित रहती हैं।

आम तौर पर, कामकाजी महिलाएँ देश भर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के सभी प्रमुख केंद्रों में रात की पाली (नाइटशिफ्ट) के दौरान विशेष रूप से असुरक्षित महसूस करती हैं। उनमें से अधिकांश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPOs), सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (ITES), कॉल सेंटर, आतिथ्य सेवाओं (रेस्तरां और होटल), नागरिक उड्डयन, चिकित्सा और कपड़ा क्षेत्र में कार्यरत हैं। कामकाजी महिलाओं की चिंता यह है कि उनके संबंधित संगठनों द्वारा स्थापित सुरक्षा मानदंड पर्याप्त नहीं हैं और अपराध में वृद्धि के परिणामस्वरूप उनकी असुरक्षा और भय निरंतर बढ़ रहे हैं।

आम तौर पर महिलाएँ कार्यस्थल में अपनी सुरक्षा के बारे में ज्यादा मुखर और अभिव्यक्त नहीं होती हैं, क्योंकि परिवार और नियोक्ताओं से सहायता और उचित सुरक्षा प्रणाली की कमी के कारण, कई महिलाएँ यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट नहीं करती हैं, राजधानी दिल्ली में हर

100 में से केवल एक महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करती है। 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के साथ, यह अनिवार्य कर दिया गया था कि 10 से अधिक कर्मचारियों के साथ काम करने वाले सभी संगठनों में एक आंतरिक शिकायत समिति होनी चाहिए जो ऐसी शिकायतों की देखभाल करेगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कई संगठन इस अधिनियम के तहत बताए गए दिशा–निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, जो कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंता का प्रमुख बिंदु है।

हाल ही में कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल पर खराब और असुरक्षित माहौल की समस्या को उजागर किया है जिसका वे प्रतिदिन सामना करती हैं। कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा के संबंध में एक और महत्वपूर्ण विकास हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग पर न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी करना था। इस समिति का नेतृत्व केरल उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. हेमा ने किया था, और इसके सदस्यों में वरिष्ठ अभिनेता शारदा और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के.बी. वलसाला कुमारी शामिल थीं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिला सुरक्षा के संबंध में कई प्रमुख मुद्दे उठाए हैं जैसे यौन शोषण, कास्टिंग काउच (मनोरंजन उद्योग में अभिनय भूमिकाओं के बदले महिलाओं से यौन एहसान की मांग करना), साइबर धमकी और ट्रोल, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और महिला कलाकारों के साथ दुर्व्यवहार एवं लैंगिक भेदभाव।

कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम और सुझाव

कार्यस्थलों पर और घर वापस जाते समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियोक्ता या संगठन द्वारा निम्नलिखित पहल और कदम उठाए जाने चाहिए। इन पहलों को चार मुख्य प्रकार से वर्गीकृत किया गया है– भौतिक, पर्यावरणीय, संगठनात्मक और शैक्षिक पहलू।

1. भौतिक सुरक्षा – यह संगठन में महिला कर्मचारियों की शारीरिक सुरक्षा संबंधी उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कार्यालय या फैक्ट्री परिसर के अंदर काम के घंटों के दौरान महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है तथा महिलाओं को कार्यस्थल पर तथा कार्य समय के दौरान कार्यालय में बुनियादी सुरक्षा का आश्वासन दिया जाना चाहिए। जैसे कि, कार्यालय या कार्य परिसर में प्रवेश, निकास, सामान्य मार्ग आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर 24•7 चालू सीसीटीवी कैमरा
2.

(क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा) निगरानी और ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड और संगठन के सभी आकस्मिक कर्मचारियों से पहचान संबंधी दस्तावेज एकत्र किए जाने चाहिए।

3. संगठन के पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा उपाय– किसी भी कार्यालय या संगठन का पर्यावरणीय पहलू सुरक्षा के भौतिक पहलू का पूरक होता है तथा किसी भी परिसर में सुरक्षित मानक बनाए रखने में मदद करता है। यह महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के बुनियादी किन्तु महत्वपूर्ण पहलुओं को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित आपातकालीन संपर्क नंबर और आपातकाल में संपर्क करने के लिए उपलब्ध नामित अधिकारी, महिलाओं के लिए उनके कार्यस्थल के निकट पृथक एवं सुरक्षित शौचालय, आगंतुकों पर कड़ी निगरानी तथा रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए कार्यस्थल तक आने–जाने के लिए संगठन या कंपनी परिवहन का प्रावधान।
4. संगठन का कार्य वातावरण– नियोक्ता का दायित्व है कि वह कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनाए, जहां महिलाओं को काम पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें यह विश्वास हो कि उनके साथ सम्मान व गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा और मानसिक एवं यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रखा जाएगा। इस संबंध में प्रमुख कदम हैं, कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करते समय संगठनों में महिलाओं को उनके अधिकारों, सुविधाओं और सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए संगठन में यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया जाना चाहिए जो प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्य को रिपोर्ट करे तथा जिसकी अध्यक्ष कोई महिला हो।
5. शैक्षिक पहलू– महिला कर्मचारियों को अपनी यौन उत्पीड़न तथा लैंगिक भेदभाव पर कंपनी की नीतियों और सरकारी कानूनों के बारे में जितनी अधिक जानकारी होगी तथा उन्हें बिना किसी भय के यौन उत्पीड़न तथा लैंगिक भेदभाव के सभी मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, इस तरह के कदमों से उनमें सुरक्षा और सशक्तीकरण की भावना बढ़ेगी। जैसे कि, सुरक्षा और संरक्षा पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पुरुष कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना और सभी महिला कर्मचारियों को सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर तैयार रहने का प्रशिक्षण देना।

यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POSH Act), 2013

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न समकालीन स्थिति में महिलाओं के सामने आने वाले प्रमुख सुरक्षा मुद्दों में से एक है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक भेदभाव का एक रूप है जो महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 14 के तहत समानता के उनके अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा, मान– सम्मान और सुरक्षित जीवन का अधिकार शामिल है। यह एक असुरक्षित और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाता है, महिलाओं के पेशेवर विकास को बाधित करता है और उनके समग्र विकास और कल्याण को प्रभावित करता है। कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए कई कानूनों के बावजूद, ऐसे मुद्दे अभी भी होते हैं।

भारत में यौन उत्पीड़न के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए यौन उत्पीड़न संरक्षण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम लागू किया गया। यद्यपि इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में वृद्धि हुई है, परंतु पिछले वर्ष एक निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस अधिनियम से जुड़ी कुछ गंभीर खामियों और अनिश्चितताओं के संबंध में अपनी चिंताएं जताई है। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इन खामियों का महिलाओं के आत्मसम्मान, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, प्रक्रिया में अनिश्चितता और आत्मविश्वास की कमी के कारण महिलाएं यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट करने में अनिच्छुक हो जाती हैं।

यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने के लिए बनाया गया एक कानून है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम पूरे भारत में सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों पर लागू होता है। इसे 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। यह कई संशोधनों से गुजरा और संसद द्वारा अधिनियमित होन के बाद 9 दिसंबर, 2013 को लागू हुआ।

इस अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सर्वोच्च न्यायालय के 1997 के विशाखा दिशानिर्देश (Vishakha Guidelines) थे। कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। इसलिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ठोस कानून बनाए जाने

तक वैधानिक शून्यता या अंतर को भरने के लिए दिशा–निर्देशों निर्धारित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिशानिर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों व मानदंडों जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW) की सामान्य सिफारिशों से तैयार किए हैं, जिसका भारत ने 1993 में अनुसमर्थन किया था। इन दिशानिर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वैधानिक और कानूनी समर्थन देने के लिए यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POSH Act) लागू किया गया।

• यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

यौन उत्पीड़न संरक्षण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है। यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को निम्नलिखित अवांछित कृत्य या व्यवहार में से एक या अधिक के रूप में परिभाषित करता है। जैसे, शारीरिक संपर्क या स्पर्श, यौन एहसानों की मांग या अनुरोध, यौन रूप से रंगीन टिप्पणी करना, अश्लील वीडियो या साहित्य दिखाना और कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक और गैर–मौखिक यौनिक प्रकृति का आचरण व व्यवहार।

यह अधिनियम महिला कर्मचारियों को भी परिभाषित करता है। यह अधिनियम न केवल कंपनी कानून के अनुसार बल्कि महिला कर्मचारियों की स्पष्ट और वृहद समझ भी देता है। सभी महिला कर्मचारी, चाहे वे नियमित रूप से, अस्थायी रूप से, संविदात्मक रूप से तदर्थ या दैनिक वेतन पर कायरत हों, प्रशिक्षु के रूप में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण की मांग कर सकती हैं।

यह अधिनियम कार्यस्थल को भी परिभाषित करता है तथा विस्तारित कार्यस्थल की अवधारणा प्रस्तुत करता है। इसमें श्कार्यस्थलश को किसी भी ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां कोई कर्मचारी काम के परिणामस्वरूप जाता है, जिसमें यात्रा के उद्देश्य से संगठन द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन का साधन भी शामिल है। इस अधिनियम मे पारंपरिक कार्यालयों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के सभी प्रकार के संगठनों, यहां तक कि गैर–पारंपरिक कार्यस्थलों और कर्मचारियों द्वारा काम के लिए जाने वाले स्थानों को भी शामिल किया गया है।

इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न के आरोपों और शिकायतों के समाधान के लिए संगठन में एक समिति का प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह 10 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी निगम या संगठन को यौन उत्पीड़न की शिकायतों और आरोपों की सुनवाई और समाधान के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) स्थापित करने

का आदेश देता है। इस अधिनियम के तहत शिकायत समितियों को साक्ष्य जुटाने के लिए सिविल न्यायालयों के समान शक्तियां प्राप्त हैं। 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SHE&BoÛ पेश किया, जो शिकायतों को नियोक्ता या संगठन की आंतरिक शिकायत समिति को निर्देशित करता है। यह अधिनियम शिकायत दर्ज करने, जांच करने तथा संबंधित पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

इस अधिनियम के अनुसार, नियोक्ता को महिला सुरक्षा एवं लैंगिक समानता के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने होंगे, सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना होगा, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी कार्यस्थल पर प्रदर्शित करनी होगी। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर संगठन या कंपनी पर भारी जुर्माना और व्यावसायिक लाइसेंस रद्द करने सहित अन्य दंड का प्रावधान है।

• यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम के मामलों और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ और समाधान

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन में कई गंभीर खामियों और अनिश्चितताओं को उठाया था। जैसे, कम्पनियों एवं संगठनों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करना, आंतरिक शिकायत समिति का अनुचित गठन और कार्यप्रणाली, उत्पीड़न शिकायत एवं निवारण तंत्र में लिंग तटस्थता का अभाव, इस अधिनियम में महिला कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को शामिल न किया जाना, जैसे यह अधिनियम कृषि श्रमिकों और सशस्त्र बलों में कार्यरत महिलाओं को शामिल नहीं करता है, कानून में स्पष्टता का अभाव, और पीड़ित होने का डर के चलते कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की बड़ी संख्या में कमी। यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में ये कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण कमियां या चुनौतियां हैं।

इस अधिनियम की चुनौतियों के पीछे मुख्य कारण या बाधा यह है कि अधिनियम उत्तरदायित्व को संतोषजनक ढंग से संबोधित नहीं करता है, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्यस्थलों पर अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है, तथा यदि इसके प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, सरकार कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों के बारे में कोई केंद्रीकृत आंकड़े नहीं

रखती है, यही कारण है कि किसी को भी अधिनियम के क्रियान्वयन और कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा की वास्तविक स्थिति के बारे में पता नहीं है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा दुनिया भर के सभी देशों में होती है और यौन उत्पीड़न और धमकाने सहित कई रूप लेती है। यदि हम सभी कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखें और फिर सामूहिक रूप से महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के परिदृश्य को देखे, तो यह आसानी से देखा जा सकता है कि अकेले कड़े कानून बहुत कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में जो करने की आवश्यकता है वह है शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज का नैतिक सुधार। मजबूत और कड़े कानून निश्चित रूप से आवश्यक हैं क्योंकि मौजूदा कानून त्वरित न्याय और दोषियों को उचित सजा सुनिश्चित करने में अक्षम साबित हुए हैं।

निष्कर्ष

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में एक सार्वभौमिक समस्या है। यौन उत्पीड़न की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है, तथा मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से, अधिकांश मामलों में महिलाएं संबंधित अधिकारियां को मामले की रिपोर्ट नहीं करती हैं। भारतीय समाज में लैंगिक संवेदनशीलता की कमी के कारण महिलाएं शिकायत करने में अनिच्छुक हैं तथा चुप्पी साधना पसंद करती हैं। हमारे समाज को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, ताकि पीड़ित को दोषी महसूस न हा तथा वह किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित हो।

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में, यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी अद्यतन करने तथा शिकायत तंत्र में कुछ संस्थागत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे, आंतरिक शिकायत समिति के स्थान पर यौन उत्पीड़न न्यायाधिकरण की स्थापना करना, कार्यालय पार्टियों में शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, सरकार को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए, महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, सरकार को इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की तीन महीने की समय सीमा भो हटानी चाहिए, कार्यस्थल पर समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देना और घरेलू महिला कामगारों जैसे घरेलू सहायिकाओं (House&helps) को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

- B.S Perappadan. (2012). *Sexual harassment at work place high*. The Hindu
- BSR. (2017). *Women's Safety in the workplace – Helping Business prevent Sexual harassment*. BSR her project
- Chawla. A. (2024). *A Decade of the POSH Act: What the data tells us about how India inc. has fared*. Centre for Economic data & analysis.
- Das, Ranjana. (2022). *Making all workplaces safer for women.* The Indian express
- Kapoor. S & Wangdus. J. (2020). *Making work places safer for women.* The journal of Indian Management & Strategy
- Gandhi. Anuradha. (2023). *Women safety at workplace.* FICCI And S.S. RANA & Co.
- Mishra. H.S. (2014). *Safety of women at workplace.* ISME Blogs
- Munjal, D. (2023). *What is the PoSH act and why has the supreme court flagged lapses in its implementation.* The Hindu
- Shukla. V. (2024). Kolkata rape and murder: When the law fails women. The Indian Express
- Sivapriyra. C. & Preetha. S. (2018). *Women safety in Digital India – a Prime Agenda for the society.* International Journal of Engineering & Technology
- Vijay. R.K. (2023). *Slow Progress to creating a safe workplace for Women.* The Hindu

♦♦♦♦♦

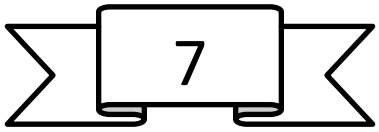

महिला सुरक्षा एवं विकसित भारतः सुरक्षित व सशक्त भारत का एक विचार

नीलम

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

विकसित भारत का विचार राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण को सम्मिलित करता है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय व पर्यावरणीय स्थिरता पर बल दिया जाता है। इस विचार के केंद्र में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनिवार्यता निहित है। महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून व व्यवस्था का विषय नहीं हैय यह एक विकसित समाज की आधारशिला है जहाँ सभी नागरिक विकसित सकते हैं। इस आलेख में, हम महिलाओं की सुरक्षा एवं विकसित भारत के व्यापक लक्ष्यों के मध्य महत्वपूर्ण अंतर्संबंधों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाएगा।

भारत में महिला सुरक्षा का वर्तमान परिदृश्य

भारत में महिला सुरक्षा एक गहन चिंता का विषय बन गया है, जिसमें हिंसा, उत्पीड़न व भेदभाव की दर चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं, जो गहन जड़ें जमाए हुए सामाजिक विषयों को दर्शाते हैं। पितृसत्तात्मक मानदंड व अपर्याप्त कानून प्रवर्तन जैसे कारक विभिन्न संदर्भों में महिलाओं की भेद्यता में योगदान करते हैं – चाहे वह घर पर हो, समाज व सार्वजनिक स्थानों पर हो या कार्यस्थल पर।

महिलाओं के अधिकारों व लैंगिक समानता पहलों में महत्वपूर्ण प्रगति के उपरांत, नीति व कार्यान्वयन के मध्य का अंतर अभी भी अत्यधिक व्यापक है। कई महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न और प्रणालीगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल महिलाओं के व्यक्तिगत विकास में बाधा डालती है, अपितु आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को भी रोकती है।

शिक्षा व जागरूकता की भूमिका

महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने व आत्मरक्षा को प्रोत्साहित करने के माध्यम से, शिक्षा महिलाओं को उनके वातावरण को सुरक्षित रूप से बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान व कौशल से प्रेरित कर सकती है।

पुरुषों व महिलाओं दोनों को लैंगिक समानता तथा आपसी सम्मान के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों को सम्मिलित करने वाली सामुदायिक पहल महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण को परिवतित करने में सहायता कर सकती है। शैक्षणिक संस्थान भी सम्मान व सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कानूनी ढाँचा व इसकी चुनौतियाँ

भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ कानूनी ढाँचा है, जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी के विरुद्ध कानून सम्मिलित हैं। तथापि, इन कानूनों की प्रभावशीलता सामान्यतरू खराब क्रियान्वयन व सामाजिक दृष्टिकोण के कारण कमजोर हो जाती है। महिलाओं को प्रायरू न्याय पाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पीड़ित को दोषी ठहराना, प्रक्रिया में देरी और सहायता सेवाओं की कमी।

विकसित भारत के दृष्टिकोण से, पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करके व शिकायतों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाकर कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करना आवश्यक है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विषयों को संभालने के लिए विशेष पुलिस इकाइयाँ व फास्ट–ट्रैक कोर्ट स्थापित करने से स्थिति में काफी सुधार हो सकता है।

सुरक्षा के लिए उत्प्रेरक के रूप में आर्थिक सशक्तिकरण

महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। जब महिलाओं के पास रोजगार के अवसर और वित्तीय संसाधन होते हैं, तो वे अपने जीवन को प्रभावित करने वाले विकल्प चुनने की एजेंसी प्राप्त करती हैं। आर्थिक सशक्तिकरण हिंसा व शोषण के प्रति उनकी भद्यता को भी कम कर सकता है।

कौशल विकास, माइक्रो–फाइनेंसिंग और उद्यमिता पर लक्षित पहल महिलाओं को अर्थव्यवस्था में योगदान करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त, जो संगठन लिंग–संवेदनशील नीतियों को अपनाते हैं तथा नेतृत्व के पदों पर महिलाओं को बढावा देते हैं, वे समावेशी कार्य वातावरण बना सकते हैं जो महिलाओं के आत्मविश्वास और सुरक्षा को बढ़ाता है।

सामुदायिक जुड़ाव व सहायता प्रणाली

महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए परिवारों, समुदायों और संस्थानों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली सहायता प्रणाली स्थापित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। इसमें जागरूकता अभियान, कार्यशालाएँ व प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हो सकते हैं जो सहमति, सम्मान व लैंगिक समानता के बारे में विचार–विमर्श में दोनों लिंगों को सम्मिलित करते हैं।

सहायता प्रणाली, जैसे हेल्पलाइन, परामर्श सेवाएँ और सुरक्षित आश्रय, आसानी से सुलभ होने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सामुदायिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देकर, हम ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहाँ महिलाएँ सुरक्षित व समर्थित महसूस करें।

तकनीकी नवाचार व सुरक्षा

प्रौद्योगिकी के आगमन से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के नए रास्ते खुलते हैं। सुरक्षा के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, जैसे पैनिक बटन और लोकेशन ट्रैकिंग, महिलाओं को आपात स्थिति में सहायता लेने के लिए सशक्त बना सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म महिलाओं के मुद्दों के लिए जागरूकता बढ़ाने व समर्थन जुटाने के लिए स्थान के रूप में काम कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर आंकड़ा एकत्र करने व उसका विश्लेषण करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है, जिससे नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने व लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करने में सहायता मिलेगी। यह आँकड़े–संचालित दृष्टिकोण विकसित भारत के उद्देश्यों के अनुरूप है, क्योंकि यह शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने में पुरुषों की भूमिका

महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई में पुरुषों को सहयोगी के रूप में सम्मिलित करना आवश्यक है। लिंग आधारित हिंसा मात्र महिलाओं का विषय नहीं हैय इसके लिए हानिकारक मानदंडों व व्यवहारों को चुनौती देने के लिए पुरुषों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत होती है। पुरुषां को ध्यान में रखकर शिक्षा व जागरूकता कार्यक्रम उन्हें हिंसा के विरुद्ध खड़े होने तथा लैंगिक समानता की समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

लिंगों के मध्य संवाद को बढ़ावा देने वाली सामुदायिक पहल रूढ़ियों को समाप्त करने व आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में सहायता कर सकती है। जब पुरुष महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में अपनी भूमिका समझते हैं, तो संपूर्ण समुदाय को लाभ होता है।

निष्कर्ष

महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दिए बिना विकसित भारत का विचार अधूरा है। यह सुनिश्चित करना कि महिलाएँ सुरक्षित वातावरण में रह सकें, काम कर सकें व आगे बढ़ सकें, सतत विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा, कानूनी सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण, सामुदायिक जुड़ाव, तकनीको नवाचार व पुरुषों की सहभागिता के माध्यम से महिलाओं के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करके, हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो वास्तव में समानता व न्याय के मूल्यों को दर्शाता हो।

चूँकि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण इसके एजेंडे में सबसे आगे होना चाहिए। एक सुरक्षित व सशक्त महिला न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान देती है अपितु प्रगतिशील व विकसित समाज का एक आधारिक स्तंभ भी है। हम सभी को मिलकर पुरुषों व महिलाओं को एक साथ आकर एक ऐसे विकसित भारत की दिशा में काम करना है, जहाँ प्रत्येक महिला बिना किसी भय के रह सके, अपने सपनों को पूर्ण कर सके तथा देश के विकास में योगदान दे सके।

संदर्भ सूची

- National Crime Records Bureau (NCRB). (2020). *Crime in India 2020*. Retrieved from https://www.ncrb.gov.in/en/Crime-in-India-2020
- Ministry of Women and Child Development. (2021). *Beti Bachao Beti Padhao*. Retrieved from wcd.nic.in, https://www.myscheme.gov.in/schemes/bbbp
- National Commission for Women (NCW). (2021). *Annual Report 2020-2021*. Retrieved from https://ncwapps.nic.in/pdfReports/Annual_Report_2020_21_English_Full.pdf
- Ministry of Rural Development. (2021). *Deen Dayal Antyodaya Yojana*. Retrieved from, https://rural.gov.in/en/press-release/funds-released-under-deendayal-antyodaya-yojana-national-rural-livelihoods-mission
- Ministry of Home Affairs. (2021). *Nirbhaya Fund*. Retrieved from https://www.mha.gov.in/sites/default/files/NirbhayaFund_01502018.pdf

♦♦♦♦♦

8

विकसित भारत के संकल्प के समक्ष चुनौतियांः महिला प्रतिनिधित्व के संदर्भ में एक अध्ययन

चंद्रिका आर्य

शोधार्थी, राजनिति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

लोकसभा चुनाव 2024

ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के कुछ ही महीनों पश्चात ही महिलाओं की राजनीति में भागीदारी हाशिये पर बनी हुई हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के पश्चात, 74 महिलाएँ संसद सदस्य (MP) के रूप में चुनी गई हैं जिसका अर्थ है कि संसद के निम्न सदन के 543 सदस्यों में से केवल 13.6 प्रतिशत महिलाएँ हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि वे भारत की जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत भाग हैं। यह संख्या 2019 में रिकॉर्ड की गई संख्या से कम है, जब 78 महिलाएं (कुल 543 सांसदों में से 14-3 प्रतिशत) लोकसभा के लिए चुनी गई थीं। चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2019 में 726 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। उनमें से 78 महिलाएँ– कुल महिला उम्मीदवारों का 10.74 प्रतिशत– निर्वाचित हुईं। 2024 में कुल 797 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 74 निर्वाचित हुईं। इसका अर्थ है कि चुनावी दौड़ में सम्मिलित 9.7 प्रतिशत महिलाओं ने विजय प्राप्त की। संसद के निम्न सदन के 543 सदस्यों में से केवल 13.6 प्रतिशत महिलाएं हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव मनाते समय और विकसित राष्ट्रों की सूची में सम्मिलित होने का स्वप्न देखते भारत के समक्ष महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की बड़ी चुनौती है। 18वीं लोकसभा में भी जब हम लैंगिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान देते है तो पता चलता है कि इसमें 74 महिलाएँ और 469 पुरुष हैं। महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों का केवल 13.6% है। 2019 के चुनाव से यह गिरावट है, जिसमें 14.4% महिला सांसद थीं। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के पश्चात यह देश में पहला चुनाव था। जिसमें उम्मीद लगाई जा रही थी कि राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए अधिक महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे क्योंकि विधेयक

का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना है इसके बावजूद, महिलाओं के संसदीय प्रतिनिधित्व में अपेक्षा के अनुरूप सुधार देखने को नहीं मिला।

नई लोकसभा में नए चेहरे

18वीं लोकसभा में सबसे विशेष बात है 74 नई महिला सांसदों में से 43 पहली बार चुनाव जीती हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती, भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनौत जैसी चर्चित महिलाएं पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। वहीं, 25 से 30 साल की उम्र की कई युवा महिला उम्मीदवारों ने भी इस चुनाव में विजय प्राप्त की है। इसमें सबसे अहम है राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस की संजना जाटव, कर्नाटक के चिक्कोडी से प्रियंका जारकीहोली, बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की शांभवी चौधरी, उत्तर प्रदेश क कैराना और मछलीशहर से सपा की इकरा चौधरी, प्रिया सरोज शामिल हैं। दलित और अल्पसंख्यक समुदाय महिला सांसदों का संसद में पहुंचना भारतीय समाज में महिला नेताओं के प्रति बढ़ती स्वीकृति और सहयोग को दर्शाता है। इस तथ्य को भारतीय लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, परंतु राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निहित लैंगिक असमानता इस सकारात्मक परिवर्तन पर प्रश्न खड़े करती है।

विधानसभा चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व

पिछले वर्ष में आए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो पाएंगे कि यहां पर भी महिलाओं की वही स्थिति है जो भारत के अन्य प्रांतों की विधानसभाओं और संसद के दोनो सदनों में है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में 112 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। अर्थात 50 फीसदी सीटों पर महिलाओं के पास पुरुषों के मुकाबले ज्यादा ताकत है। परंतु इस सबके बावजूद जीतने वाले उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण ये रहा है कि महिलाओं को चुनाव ही नही लड़ने दिया जाता।

आंकड़ों के अनुसार इस बार कर्नाटक चुनाव में कुल 2628 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे परंतु इनमें से महिलाओं की संख्या केवल 185 थी जो कि कुल संख्या का केवल 7-6 फीसदी ही बनता है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के मुख्य राजनीतिक दल भी चुनावी मैदान में महिलाओं को

उम्मीदवार बनाने से कतराते हैं जैसे कर्नाटक में बीजेपी ने अपने कुल 224 उम्मीदवारों में से केवल 12 महिलाओं को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस ने 223 में से केवल 11 वहीं जनता दल (सेकुलर) ने 207 में से 13 महिलाओं को टिकट देकर चुनाव लडने का अवसर दिया, जिनमें से बीजेपी और कांग्रेस की क्रमशरू पांच–पांच महिला उम्मीदवार वहीं जेडीएस की एक महिला और एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रही। यहां साफ है कि यदि अधिक महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा जाता तो निश्चित रूप से ज्यादा महिलाएं विधानसभा में प्रवेश करती और महिलाओं के हित के लिए नीतियों के निर्माण में योगदान दे पाती।

इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कर्नाटक राज्य में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर शिक्षा का भी कोई सीधा असर नहीं देखने को मिलता है जैसे कि कर्नाटक में साक्षरता दर 75-36 प्रतिशत है। पंरतु प्रदेश में अब तक हुए 16 विधानसभा चुनावों में ये केवल चौथी बार हुआ है कि कर्नाटक विधानसभा में महिलाओं की संख्या ने दहाई का आंकड़ा छुआ है और आजादी के पश्चात से अब तक के सभी चुनावों में कुल 1114 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी हैं जिनमें से 102 ने जीत दर्ज करके विधानसभा में प्रवेश किया है। वहीं दूसरी ओर साक्षरता दर अधिक वाले राज्य में आज तक केवल 13 महिलाएं ही लोकसभा सांसद बन पाई हैं जो कि संख्या के लिहाज से बहुत कम है।

इसी प्रकार वर्ष 2023 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चनावों के नतीजे आए और दोनों राज्यों की विधानसभाओं में एक बार फिर से महिलाओं को पुरुषप्रधान समाज ने क्षीण कर दिया। 68 सीटों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में केवल एक सीट और 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में केवल 16 सीटों पर ही इस पितृस्तातमक समाज ने महिलाओं को जीतने दिया है। स्वतंत्रता के 75 वर्षो पश्चात जब भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है तब यदि विधानसभाओं में महिला पुरुषों की संख्या के बीच इतना अंतर है तो ये भारत देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि जब तक प्रतिनिधित्व में महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक उनकी स्थिति में सुधार की गुंजाइश बहुत कम नजर आती है।

भारतीय संविधान में किए गए लैंगिक समानता के प्रावधान के बावजूद और जब महिला मतदाताओं की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर है तब भी महिलाओं को राजनीति में भागीदार नहीं बनने दिया जा रहा। यहां एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर कब तक महिलाओं को पुरुषों द्वारा अपने अनुसार बनाई गई नीतियों पर अपना जीवन यापन करना पड़ेगा? क्योंकि जब नीति निर्माण की सारी

शक्तियां विधायिका के पास होती है, तो फिर विधायिकाओं में महिलाओं की संख्या को क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा?

गुजरात विधानसभा में पितृसत्ता ने आज तक केवल चार बार ही 9 फीसदी सीटे महिलाओं को जीतने दी हैं, उसके अलावा ये आंकड़ा 7 फीसदी या इससे कम रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में तो स्थिति इस से भी बुरी है और यहां केवल दो बार ही महिलाओं को 7 फीसदी सीटें जीतने दी गई हैं और ये आंकड़ा इस बार तो घटकर डेढ़ फीसदी पर आ गया है।वहीं बात यदि लोकसभा चुनाव 2019 की करें तो प्रथमतया 14 फीसदी महिलाओं को लोकसभा में पहुंचने दिया गया है। इस से पहले ये आंकड़ा 10 फीसदी के आसपास रहा है। और भारत के 19 राज्य ऐसे हैं जहां कि विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से कम है।

भारत ही नहीं अपितु विश्व में पुरुषप्रधान समाज द्वारा ये अवधारणा गढ़ी गई हैं कि महिलाएं चुनाव नहीं जीत सकती, जो कि गलत अवधारणा है, इस पर पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाय.कुरैशी कहते हैं कि यदि आजाद भारत के 70 वर्षों के चुनावी इतिहास के आंकड़ों पर गौर की जाए तो पाएंगे कि हर बार चुनाव जीतने वाली महिलाओं का अनुपात उन्हें दिए गए टिकटों से अधिक रहा है। आज तक सभी राजनीतिक दलों से बने कुल उम्मीदवारों में केवल 6 प्रतिशत ही महिलाएं रही हैं जबकि इनके जीतने की दर 10 प्रतिशत है। जो महिलाओं के जीतने की क्षमता को दर्शाता है कि भारत में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक संख्या में चुनाव जीत सकती है अन्यथा उन्हें अधिक अवसर दिए जाएं। जैसे यदि हम 2019 लोकसभा चुनाव को देखें तो पाएंगे कि कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या केवल 9 प्रतिशत थी जबकि 14-4 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं ने विजय निश्चित की। वहीं दूसरी ओर पुरुष उम्मीदवारों में जीतने की दर केवल 6.3 प्रतिशत थी।

इससे स्पष्ट हो रहा है कि महिलाओं की चुनाव जीतने की क्षमता पुरुषों से अधिक है परंतु उन्हें मैदान में उतरने ही नही दिया जा रहा। जैसे बीजेपी ने गुजरात में 182 उम्मीदवारों में से केवल 18 वहीं कांग्रेस ने 14 और आम आदमी पार्टी ने केवल 6 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया।

महिलाएं मतदाता से महिला नेता क्यों नहीं बन पाई?

अगर हम महिलाओं की राजनीति में भागीदारी मतदाताओं के रूप में देखते हैं तो हम पाते हैं की स्वतंत्रता से अब तक महिला मतदाताओं की संख्या ने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। लोकतंत्र

में महिलाएं अपने मताधिकार का महत्व जानकर बड़े स्तर पर मतदान के लिए बाहर आ रही हैं। इस संदर्भ में वर्ष 2019 के आम चुनाव में भारतीय महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पछाड़कर इसे एक ऐतिहासिक चुनाव के रूप में याद करने योग्य बनाया है।

साल 1961 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 16.73 प्रतिशत कम था जो कि बीते चुनाव में पुरुषों को पार कर गया। भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता की ओर इसे एक बड़ा कदम मानते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा इस घटना को 'आत्म सशक्तिकरण की मौन क्रांति' का नाम दिया गया है। 1990 के दशक से बढ़ रही महिला मतदाताओं की संख्या के पीछे राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा अनेकों कारण दिए जाते हैं जैसे कि महिलाओं में बढ़ती साक्षरता दर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वृद्धि, डिजिटल क्रांति, महिला मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कुछ विशेष कदम तथा पंचायतों और नगर निगम में महिलाओं के लिए आरक्षण।

महिलाओं को कम टिकट देने का चलन

चुनावी राजनीति में महिला नेताओं की संख्या कम होने का एक बड़ा कारण यह भी है की महिलाओं को राजनीतिक दलों द्वारा टिकट नहीं दिया जाता है। उनके साथ यह धारणा जुड़ी हुई है कि महिला उम्मीदवार पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रखती है। चुनाव जीतने की अयोग्यता जुड़ने के कारण राजनीतिक दल उन्हें पार्टी टिकट देने में संकोच करती है। पुरुष राजनेताओं द्वारा महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को कम आंकना और उन्हें कमजोर समझना महिलाओं के राजनीति में कम प्रतिनिधित्व का मुख्य कारण है। यही कारण है कि महिलाओं कि मतदान में अधिक भागीदारी होने के बाद भी उन्हें पार्टी टिकट नहीं दिया जाता जिसके चलते महिला उम्मीदवार चुनावी परिणामों से गायब मिलती हैं। अगर महिलाएं टिकट पाकर चुनाव जीत भी गई हैं तो उन्हें नेतृत्व का पद देने में पार्टी असहज महसूस करती है।

महिला मतदाताओं की अधिक संख्या और उनके कम प्रतिनिधित्व से एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि राजनीतिक दल महिला मतदाताओं का प्रयोग केवल वोट बैंक के लिए करना चाहते हैं। जिसके लिए राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव प्रचार करते हैं साथ ही महिला मतदाताओं के लिए चुनाव के समय बहुत बड़े–बड़े वायदे करते हैं जैसे कि मुफ्त गैस सिलेंडर देना, मुफ्त परिवहन सेवा देना, महिला सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देना आदि।

राजनीतिक दल, महिला मतदाता के रूप में हो या पार्टी वर्कर के रूप में हो महिलाओं का खुलकर प्रयोग करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि महिला मतदाताओं के साथ–साथ महिलाओं की भूमिका पार्टी वर्कर के रूप में भी बढ़ी है। बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं जैसे कि चुनावी रैलियों में भाग लेना, घर–घर जाकर चुनाव प्रचार करना आदि। अपने मताधिकार के लिए जागरूक तथा राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद राजनीतिक संस्थाओं से महिलाओं को दूर रखना हमारी राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक दलों की रूढ़िवादी सोच को इंगित करता है।

निष्कर्ष

पिछली लोकसभा के मुकाबले महिला सासंदों की संख्या ऐसे समय में कम हुई है, जब भारत में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। तथापि, यह विधेयक अब तक लागू नहीं हुआ है किंतु दलों की उम्मीदवारों की लिस्ट में महिलाओं की उपस्थिति को देखते हुए उनको प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

भारतीय थिंक टैंक पीआरएस लेजिसलेटिव के अनुसार, राजनीति में लैंगिक समानता की दृष्टि से भारत अभी भी कई देशों से काफी पीछे है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में 46 फीसदी, ब्रिटेन में 35 प्रतिशत, तो अमेरिका में 29 फीसदी सांसद महिलाएं हैं। विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए भारत के लिए आवश्यक है राजनीति के क्षेत्र में लैंगिक समानता के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जाए।

संदर्भ सूची

- Ghosh, A. (2022). Women's Representation in India's Parliament: Measuring Progress and Analysing Obstacles. ORF Occasional Paper, No.382
- John, M. (2009). Political Participation of Women in Power: Gender, Caste and the Local Urban Governance. Economic and Political Weekly.
- Kabeer, N. (2005). Gender Equality and Women's Empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. Gender and Development, Vol. 13, No. 1.
- Kapoor, M. & Ravi, S. (2014). Women Voters in Indian Democracy: A Silent Revolution. Economic and Political Weekly, 49(22), 63-67.
- Kumar, S., Gupta, P. (2015). Changing Pattern of Women's Turnout in Indian Elections. Studies in Indian Politics, 3(1), 7-18. DOI: 10.1177/2321023015575210.
- Pai, S. (2015). From Dynasty to Legitimacy: Women Leaders in India. In O. Goyal (Ed.), Interrogating Women's Leadership and Empowerment (pp. 107-21). Sage Publications.
- Rai, P. (2017). Women's Participation in Electoral Politics in India: Silent Feminisation. South Asia Research, 37(1), 58-77. DOI: 10.1177/0262728016675529.
- Spary, C. (2020). Women Candidates, Women Voters, and the Gender Politics of India's 2019 Parliamentary Election. Contemporary South Asia, 28:2, 223-241, DOI: 10.1080/09584935.2020.1765987

♦♦♦♦♦

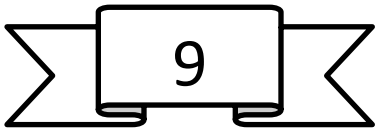

विकसित भारत का लक्ष्यः महिला सशक्तिकरण एक प्रवाद के रूप में

हिताक्षी गिल

विद्यार्थी, जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत के विकास का मात्र आर्थिक उन्नति से नहीं जुड़ा हुआ है, अपितु सामाजिक परिवर्तनों का भी महत्वपूर्ण भाग है। एक सशक्त भारत की कल्पना तभी पूर्ण हो सकती है जब समाज का प्रत्येक वर्ग, विशेषकर महिलाओं को सामाजिक स्तर पर समानता, स्वतंत्रता व स्वीकार्यता का अधिकार प्राप्त हो।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ मत शिक्षा या रोजगार तक सीमित नहीं है, अपितु यह महिलाओं को उनके अधिकारों, निर्णय लेने की स्वतंत्रता व सामाजिक स्वीकृति देने से जुड़ा है। समानता की बात करें तो, महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो या राजनीति। स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि महिलाओं को अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय को स्वतंत्र रूप से लेने का अधिकार हो। स्वीकार्यता का अर्थ है कि समाज उन्हें उनकी पहचान और योग्यता के आधार पर स्वीकार करे, न कि किसी पूर्वाग्रह या पारंपरिक सोच के आधार पर। भारत के विकास में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार व समाज को मिलकर काम करना होगा। यह केवल एक नारीवादी मुद्दा नहीं है, अपितु समग्र राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तब एक समृद्ध शक्तिशाली भारत का सपना पूरा होगा। इस प्रकार, एक शक्तिशाली और प्रगतिशील भारत तभी संभव है जब महिलाएं सशक्त हों व समाज में समानता का स्थान प्राप्त करें।

महिला सशक्तिकरण और समानतारू

शक्तिशाली भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब महिलाओं को समाज में समानता, स्वतंत्रता व स्वीकृति मिले। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि उन्हें न केवल शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिए जाएं, अपितु उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार भी मिले। समानता का तात्पर्य है कि महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में भेदभाव का सामना

न करना पड़े और उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर स्थान मिले। स्वतंत्रता का अर्थ है कि महिलाएं अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन में बिना किसी सामाजिक दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। जब समाज महिलाओं को उनकी क्षमता और योगदान के आधार पर स्वीकार करेगा, तभी एक सशक्त भारत का निर्माण हो पाएगा। इसलिए, महिला सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए, अपितु पूरे देश की प्रगति के लिए अनिवार्य है। महिला सशक्तिकरण के लिए समानता एक अनिवार्य शर्त है। जब महिलाएं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर होंगी, तभी एक शक्तिशाली और विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। समानता केवल एक सिद्धांत नहीं, अपितु एक क्रियात्मक दृष्टिकोण है जो देश की अर्द्ध जनसंख्या को सशक्त बनाने की दिशा में काम करता है।

• शिक्षा में समानताः महिलाओं को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा एक सशक्तिकरण का आधार है, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकेंगी। सरकार व समाज को सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़कियों को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक बिना किसी रुकावट के पहुंच मिले।

• रोजगार के अवसरः महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए। कार्यस्थलों पर समान वेतन व पदोन्नति की नीतियां स्थापित करनी चाहिए।

• कंपनियों और संगठनों को महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए।

• सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनः समाज में बदलाव लाने के लिए आवश्यक है कि पारंपरिक सोच को चुनौती दी जाए, जो महिलाओं को उनकी क्षमता से कम आंकती है।

• मीडिया व शिक्षा के माध्यम से जागरूकता विस्तृत करना आवश्यक है, जिससे कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों व समाज में समानता के लिए आवाज उठा सकें।

• विकासशील नीतियांः सरकार को ऐसी नीतियों को लागू करना चाहिए जो महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करें। यह नीतियां रोजगार, स्वास्थ्य, और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। विशेष आर्थिक योजनाएं व कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए जो महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दें।

महिला सशक्तिकरण व स्वतंत्रताः

शक्तिशाली व समृद्धशाली भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में निर्णय लेने का अधिकार मिले। महिला सशक्तिकरण में स्वतंत्रता का अर्थ है कि महिलाएं अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में बिना किसी बाधा या सामाजिक दबाव के अपने निर्णय खुद ले सकें। यह स्वतंत्रता उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और राजनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर देती है। जब महिलाएं स्वतंत्र होंगी, तब वे अपनी पूरी क्षमता के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकेंगी। स्वतंत्रता केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, अपितु मानसिक और सामाजिक स्वीकृति का भी भाग होनी चाहिए। एक सशक्त व स्वतंत्र महिला ही एक सशक्त समाज और राष्ट्र की नींव रख सकती है, जहाँ सभी को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों। महिला स्वतंत्रता के बिना सशक्त भारत की कल्पना अधूरी है। एक शक्तिशाली व समृद्ध भारत का सपना तभी साकार होगा जब महिलाएं अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का पूरा उपयोग कर सकेंगी। स्वतंत्रता का यह सफर न केवल महिलाओं के लिए, अपितु संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तब समाज और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित होता है।महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी स्तरों पर प्रयासों की आवश्यकता है– सरकार, समाज, व व्यक्तिगत स्तर पर। इस प्रयास में हम सभी की सहभागिता सुनिश्चित करेगी कि हम एक सशक्त और समान भारत का निर्माण कर सकें।

• व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रताः महिलाओं को अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे कि विवाह, करियर, शिक्षा व अन्य व्यक्तिगत मामलों में। उन्हें अपने जीवन के विकल्प चुनने में किसी प्रकार के सामाजिक या पारिवारिक दबाव का सामना नहीं करना चाहिए।

• सांस्कृतिक व धार्मिक स्वतंत्रताः महिलाओं को अपनी सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान को बनाए रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें अपने विश्वास व मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को अपने धर्म व संस्कृति के अनुसार जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

• रोजगार में स्वतंत्रताः महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों के समान वेतन प्राप्त करें, आर्थिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और अपने उद्यम में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। सरकार व अन्य संस्थाओं द्वारा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएँ व सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे कि वे स्वतंत्रता से काम कर सकें।

महिला सशक्तिकरण व इसकी सामाजिक स्वीकार्यताः

शक्तिशाली भारत के निर्माण में महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण स्थान है, और इस सशक्तिकरण का एक प्रमुख स्तंभ स्वीकायता है। स्वीकार्यता का अर्थ है कि समाज महिलाओं को उनकी क्षमता, योग्यता व योगदान के आधार पर पूरी तरह स्वीकार करे, न कि उन्हें केवल पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित रखे। महिलाओं की प्रतिभा और उनकी भूमिकाओं को परिवार, कार्यस्थल और समाज के हर क्षेत्र में सम्मान मिलना चाहिए। सामाजिक स्वीकायता का मतलब है कि महिलाओं को अपने निर्णय लेने, करियर चुनने, और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के अधिकार को बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाए। जब महिलाएं अपने जीवन के हर क्षेत्र में बिना किसी अवरोध या सामाजिक दबाव के आगे बढ़ेंगी और समाज उनकी योग्यता व दक्षता को खुले मन व विचारों से स्वीकार करेगा, तभी वास्तविक सशक्तिकरण संभव होगा। स्वीकायता एक ऐसा कदम है जो न केवल महिलाओं के विकास, अपितु संपूर्ण समाज की प्रगति को गति देगा। महिला सशक्तिकरण के लिए स्वीकृति एक महत्वपूर्ण आधार है। जब समाज महिलाओं की पहचान, उनके अधिकारों और उनकी क्षमताओं को स्वीकार करेगा, तब ही एक सशक्त और समृद्ध भारत का सपना साकार होगा। स्वीकृति की यह यात्रा न केवल महिलाओं के लिए, अपितु पूरे समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तब समाज व राष्ट्र का विकास सुनिश्चित होता है।

• व्यक्तिगत पहचान और स्वीकृतिः महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत पहचान को स्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह उनकी जाति, धर्म, संस्कृति, और व्यक्तिगत रुचियों के संदर्भ में हो सकता है। जब महिलाएं अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करती हैं, तो वे आत्मविश्वास के साथ समाज में आगे बढ़ सकती हैं। स्वीकृति का अर्थ है कि महिलाएं अपनी शक्तियों और क्षमताओं को पहचानें और उन्हें मानें। जब उन्हें समाज में स्वीकृति मिलती है, तो उनका मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती हैं।

• परिवार में स्वीकृतिः परिवार में महिलाओं की पहचान और क्षमताओं की स्वीकृति उनके आत्मसम्मान को बढ़ाती है। जब परिवार की महिलाएं अपनी बात रखने और अपने निर्णय लेने में स्वतंत्रता महसूस करती हैं, तो यह उन्हें मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। परिवार में महिलाओं को समानता का अनुभव होना चाहिए। उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने विचारों और जरूरतों को व्यक्त कर सकें।

• शिक्षा में स्वीकृतिः महिलाओं को शिक्षा में समान अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। उन्हें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि वे पढ़ाई व कौशल विकास में पुरुषों के समान हैं। कई बार पारंपरिक मान्यताएँ महिलाओं को शिक्षा के अवसरों से वंचित करती हैं। समाज को इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अतः विकसित भारत एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में समानता, स्वतंत्रता व स्वीकृति के मूल सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वर्गों को समान अवसर मिले और सामाजिक न्याय स्थापित हो। समानता का अर्थ केवल कानूनी अधिकार नहीं, अपितु सामाजिक व आर्थिक न्याय भी है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने व अपने सपनों को पूर्ण करने की स्वायत्ता मिले। स्वीकृति के माध्यम से हमें विविधता को अपनाने व समावेशिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इन तीन स्तंभों के माध्यम से ही हम एक समृद्ध, स्थायी व समावेशी समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए, सभी नागरिकों को मिलकर काम करना होगा जिससे कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति सशक्त व सम्मानित महसूस करे।

संदर्भ सूची

- मोहन भागवत (2022), पुरुष और महिला हर मामले में समान हैं...अपनी मानसिकता बदलें
- आदित सक्सेना (2024), भारत को मिलेगी समानता दृ महिलाओं का सशक्तिकरण, भारत का सशक्तिकरण
- शिवानी अवस्थी (2022), महिला को चाहिए समानता, मिलनी चहिए उन्हें उनके अधिकार।
- विकास ठाकुर (2023), समानता की कठिन राह पर भारत की महिलाएँ

♦♦♦♦♦

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007